



...the name you can BANK upon!



Share Department, Board & Coordination Division, Head Office Plot No.4 Sector 10, Dwarka,  
New Delhi-110075 Tel No. : 011-28044857, E-mail: [hosd@pnb.co.in](mailto:hosd@pnb.co.in)

<b>Scrip Code : PNB</b>	<b>Scrip Code : 532461</b>
National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051	BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

Date: 04.06.2025

Dear Sir(s),

### Reg.: Notice of the 24<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Bank

In continuation to our intimation dated 07.05.2025 regarding the 24<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Bank, the details are as under:

1.	Date and time of 24 <sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM)	Friday, 27 <sup>th</sup> June, 2025 at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM)
2.	Cut-off date for determining the shareholders eligible to vote on the Agenda Items of the AGM	Friday, 20 <sup>th</sup> June, 2025
3.	Record Date for Dividend	Friday, 20 <sup>th</sup> June, 2025
4.	Period of Remote E-Voting	From 09.00 a.m. of Tuesday, 24 <sup>th</sup> June, 2025 to 05.00 p.m. of Thursday, 26 <sup>th</sup> June, 2025

The Notice of the 24<sup>th</sup> Annual General Meeting is enclosed herewith. The same is also available on the website of the Bank at <https://www.pnbindia.in/AGM-EGM.html>

The above information is submitted in compliance of SEBI (LODR) Regulations, 2015. You are requested to take the above on record.

Thanking you

Yours faithfully,

(Bikramjit Shom)  
Company Secretary

Enclosed: As above



**पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank**

प्रधान कार्यालय: प्लॉट सं.4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075  
Head Office: Plot No. 4, Sector - 10, Dwarka, New Delhi 110075 India

[pnbindia.in](http://pnbindia.in)

T: 011 28075000, 28045000



**पंजाब नैशनल बैंक**  
...भरोसे का प्रतीक !



**punjab national bank**  
...the name you can BANK upon !

PNB-0215A/LOT NO.04/JUL24/OMSAI



प्रधान कार्यालय: प्लॉट नं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075  
Head Office: Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110075

## 24वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना Notice of the 24<sup>th</sup> Annual General Meeting

### महत्वपूर्ण तिथियाँ IMPORTANT DATES

24वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि एवं समय	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी/ओएवीएम के माध्यम से शुक्रवार, 27 जून, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे
एजीएम की कार्यसूची मदों पर मतदान के लिए पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के लिए कट-ऑफ तिथि	शुक्रवार, 20 जून, 2025
लाभांश के लिए रिकॉर्ड तिथि	शुक्रवार, 20 जून, 2025
रिमोट ई-वोटिंग की अवधि	मंगलवार 24 जून, 2025 पूर्वाह्न 09.00 बजे से गुरुवार, 26 जून, 2025 को सायं 05.00 बजे तक
लाभांश भुगतान तिथि	गुरुवार, 10 जुलाई, 2025

Date and time of 24 <sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM)	Friday, 27 <sup>th</sup> June, 2025 at 11.00 a.m. through VC/OAVM
Cut-off date for determining the shareholders eligible to vote on the Agenda Items of the AGM	Friday, 20 <sup>th</sup> June, 2025
Record Date for Dividend	Friday, 20 <sup>th</sup> June, 2025
Period of Remote E-Voting	From 09.00 a.m. of Tuesday, 24 <sup>th</sup> June, 2025 to 05.00 p.m. of Thursday, 26 <sup>th</sup> June, 2025
Dividend Payment Date	Thursday, 10 <sup>th</sup> July, 2025



**पंजाब नैशनल बैंक**  
...भरोसे का प्रतीक !



**punjab national bank**  
...the name you can BANK upon !

प्रधान कार्यालय : प्लॉट नं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075  
(ई-मेल आईडी: [hosd@pnb.co.in](mailto:hosd@pnb.co.in))

Head Office: Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110075  
(E-mail id: [hosd@pnb.co.in](mailto:hosd@pnb.co.in))

### सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की 24 वीं वार्षिक आम बैठक **शुक्रवार, 27 जून, 2025 को प्रातः 11.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम)** के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे

#### साधारण कार्य

**मद संख्या 1 : 31 मार्च, 2025 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ और हानि लेखा, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन देना तथा स्वीकार करना।**

**मद संख्या 2 : वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के रु. 2 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयरों पर रु. 2.90 की दर से लाभांश घोषित करना।**

#### विशेष कार्य

**मद संख्या 3 : पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (समनुषंगी), पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक कंपनी), पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सहायक कंपनी) के साथ एकमुश्त प्रतिभूति लेन-देन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद), मुद्रा बाजार लेन-देन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, ईबीपी के माध्यम से पीएनबी एनसीडी निर्गमन में सुरक्षा व्यवस्थाकर्ता सेवा, जिसमें पीएनबी गिल्ट्स निर्गम के लिए व्यवस्थाकर्ता/व्यवस्थाकर्ताओं में से एक हो सकता है और ऐसे अन्य लेन-देन भी जैसे सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक), पीएसयू, अन्य निकाय के बॉण्ड/डिबेंचर की खरीद/बिक्री के लिए संबंधी पार्टी के मत्वपूर्ण लेन-देन जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किये जा सकते हैं, पर विचार करना और अनुमोदन करना।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

**“ संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद “सेबी सूचीबद्धता विनियम” के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद “लागू कानून के रूप में संदर्भित) और पंजाब नैशनल बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में संदर्भित) बैंक के शेयरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे आगे ‘बोर्ड’ कहा जाएगा) को सर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान करते हैं, इस संकल्प के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल**

### NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 24<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab National Bank will be held on **Friday, 27<sup>th</sup> June, 2025 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)** to transact the following business:

#### ORDINARY BUSINESS

**Item No.1: To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31<sup>st</sup> March 2025, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31<sup>st</sup> March 2025, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.**

**Item No.2: To declare dividend at the rate of ₹2.90 per equity share of Face Value of ₹2/- each for the financial year 2024-25**

#### SPECIAL BUSINESS

**Item No. 3: To consider and approve the Material Related Party Transactions for Outright securities transactions (sale/purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP in which PNB Gilts may be arranger/one of the arrangers to the issue and also such other transactions such as purchase/sale of Government Securities (G-Sec), Bonds/ Debentures of PSUs, other bodies as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year with PNB Gilts Limited (Subsidiary), PNB Housing Finance Ltd. (Associate) and PNB Metlife India Insurance Co. Ltd. (Associate)**

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

**“RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as “SEBI Listing Regulations”) and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as “Applicable Laws”) and the ‘Policy on Related Party Transactions’ of Punjab National Bank (hereinafter referred to as “Bank”), the Shareholders of the Bank do hereby **accord omnibus approval** to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “Board”, which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this

माना जाएगा) को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एजीएम की तिथि (आर्थात्, 27 जून, 2025) से अगली एजीएम की तिथि तक ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेशहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक राशि के लिए एकमुश्त प्रतिभूति लेन-देन (प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद), मुद्रा बाजार लेन-देन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, पीएनबी एनसीडी निर्गमन में ईबीपी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्थाकर्ता सेवा, जिसमें पीएनबी गिल्ट्स निर्गम के लिए व्यवस्थाकर्ता/व्यवस्थाकर्ताओं में से एक हो सकता है और ऐसे अन्य लेन-देन भी जैसे सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) पीएसयू अन्य निकाय के बॉण्ड/डिबेंचर की खरीद/बिक्री और जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किया जा सकते हैं, जैसा कि लागू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, पीएनबी गिल्ट लिमिटेड (सहायक) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) प्रत्येक के लिए ₹6000 करोड़ से अधिक नहीं और पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसोसिएट) के लिए ₹2000 करोड़ से अधिक नहीं, वित्त वर्ष 2024-25 (अर्थात् 27 जून, 2025) के लिए एजीएम की तिथि से लेकर अगली एजीएम की तिथि तक, जैसा कि नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक वक्तव्य में निर्दिष्ट है।”

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्वारा इसे अधिकृत किया जाता है, आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में स्वीकृति लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतद्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (को) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्वारा इसे अधिकृत किया जाता है।

**मद संख्या 4 : पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (समनुषंगी) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक कंपनी) के साथ ऋण और अग्रिम के लिए संबंधित पार्टी के महत्वपूर्ण लेन-देन पर विचार करना और अनुमोदन करना।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद ‘सेबी सूचीबद्धता विनियम के रूप में संदर्भित’) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद शलागू कानून के रूप में संदर्भित) और पंजाब नेशनल बैंक (इसके बाद ‘बैंक’ के रूप में संदर्भित) की संबंधित पक्ष की लेन-देन पर नीति के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद ‘बोर्ड’ ‘बोर्ड’ के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा

resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) for Outright securities transactions (sale/purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP in which PNB Gilts may be arranger/one of the arrangers to the issue and also such other transactions such as purchase/sale of Government Securities (G-Sec), Bonds/ Debentures of PSUs, other bodies as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year, for an amount in excess of the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, not exceeding ₹6000 Crore each for PNB Gilts Limited (subsidiary) & PNB Housing Finance Limited (Associate) and not exceeding ₹2000 Crore for PNB Metlife India Insurance Company Limited (Associate), from the date of AGM for FY 2024-25 (i.e., 27<sup>th</sup> June, 2025) till the date of next AGM, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution.”

**Item No.4: To consider and approve the Material Related Party Transactions for Loans and Advances with PNB Gilts Ltd. (Subsidiary) and PNB Housing Finance Ltd. (Associate)**

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as “SEBI Listing Regulations”) and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as “Applicable Laws”) and the ‘Policy on Related Party Transactions’ of Punjab National Bank (hereinafter referred to as “Bank”), the Shareholders of the Bank do hereby accord omnibus approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “Board”, which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred



विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा) को सेबी सूचीबद्धता विनियम के विनियम 2(1) (जेडबी) के अभिप्राय के भीतर बैंक की संबंधित पार्टियाँ, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) के साथ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एजीएम की तिथि (अर्थात्, 27 जून, 2025) से अगली एजीएम की तिथि तक ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेशहोल्ड, जो भी कम हो. से अधिक राशि के लिए, जैसा कि लागू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित है, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक) के लिए ₹4000 करोड़ से अधिक नहीं और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के लिए ₹7100 करोड़ से अधिक नहीं, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एजीएम की तारीख (अर्थात् 27 जून, 2025) से अगली एजीएम की तारीख तक, जैसा कि सूचना में संलग्न व्याख्यात्मक वक्तव्य में निर्दिष्ट है। “सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हैं।

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्वारा इसे अधिकृत किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में स्वीकृति लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतद्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (को) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्वारा इसे अधिकृत किया जाता है।

**मद संख्या 5 : बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री अशोक चंद्र की नियुक्ति पर विचार करना और अनुमोदन करना।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण 1) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता(लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के परंतुक यथासंशोधित के अनुसार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ.सं. 4६4(प)२०23-बीओ.प दिनांक 16 जनवरी, 2025 के माध्यम से श्री अशोक चंद्र को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि 16 जनवरी, 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों और शर्तों पर एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

**मद संख्या 6 : बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री कल्याण कुमार के कार्यकाल विस्तार पर विचार करना और अनुमोदन करना।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता

under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) of granting of Loans and Advances such as Line of Credit, etc., to PNB Gilts Limited and PNB Housing Finance Limited (PNBHFL), Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, for an amount in excess of the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, not exceeding ₹4000 Crore for PNB Gilts Limited (subsidiary) and not exceeding ₹7100 Crore for PNB Housing Finance Limited (Associate), from the date of AGM for FY 2024-25 (i.e., 27<sup>th</sup> June, 2025) till the date of next AGM, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution.”

**Item No.5: To consider and approve the appointment of Shri Ashok Chandra as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank**

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the First Proviso to Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Shri Ashok Chandra vide DFS, Ministry of Finance, Government of India's Notification no. eF.No.4/4(i)/2023-BO.I dated 16<sup>th</sup> January, 2025 as the Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank with effect from 16<sup>th</sup> January, 2025 for a period of three years with effect from the date of assumption of charge of the office, or until further orders, whichever is earlier, on the terms and conditions as determined by the Government of India, be and is hereby approved.”

**Item No.6: To consider and approve the extension of Shri Kalyan Kumar as Executive Director of the Bank.**

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the First Proviso to Regulation 17(1C)

(लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार यथासंशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के साथ पठित, श्री कल्याण कुमार की वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ.सं.4/2(iii)/2024-बीओ. I दिनांक 19 अगस्त, 2024 के अनुसार 20 अक्टूबर, 2024 से आगे दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो के लिए बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्वारा अनुमोदित की जाती है।”

**मद संख्या 7 : बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री डी. सुरेन्द्रन की नियुक्ति पर विचार करना एवं अनुमोदन करना।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

“ संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, यथासंशोधित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के साथ पठित, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ.सं. 4/5(ii)/2023-बीओ. I दिनांक 24 मार्च, 2025 के माध्यम से श्री डी. सुरेन्द्रन की नियुक्ति बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में, पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तिथि अर्थात् 31.05.2027 तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों और शर्तों पर एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

**मद संख्या 8 : वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा करने और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट जारी करने के लिए मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना एवं अनुमोदन करना।**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

“ यह संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (‘सूचीबद्धता विनियम’) के अन्य लागू प्रावधानों तथा विनियम 24ए और के अनुसार समय-समय पर जारी परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 (‘अधिनियम’) और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के साथ पठित बैंक के निदेशक मंडल की अनुशंसा के अनुसार, मेसर्स। अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, जो कि अभ्यासरत कंपनी सचिवों की एक फर्म है, (फर्म पंजीकरण संख्या : P2003DE049100) को 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से 31 मार्च, 2030 (‘अवधि’) तक सचिवीय ऑडिट करने के लिए लगातार 5 वर्षों की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय ऑडिटर के रूप में (i) अवधि के लिए लिस्टिंग विनियमों के विनियम 24ए के अंतर्गत सचिवीय लेख परीक्षा रिपोर्ट और (ii) सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट 5 (पांच) वर्षों के लिए 2,95,000/- रुपये (दो लाख पंचानवे हजार रुपये मात्र) प्लस जीएसटी के पारिश्रमिक पर जीएसटी 5 (पांच) वर्षों के लिए नियुक्त और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the extension of Shri Kalyan Kumar vide DFS, Ministry of Finance, Government of India’s Notification no. eF.No.4/2(iii)/2024-BO.I dated 19<sup>th</sup> August, 2024 as the Executive Director of the Bank for a period of two years beyond 20<sup>th</sup> October, 2024, or until further orders, whichever is earlier, on the terms and conditions as determined by the Government of India, be and is hereby approved.”

**Item No. 7: To consider and approve the appointment of Shri D Surendran as Executive Director of the Bank**

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the First Proviso to Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Shri D Surendran vide DFS, Ministry of Finance, Government of India’s Notification no. eF.No. 4/5(ii)/2023-BO.I dated 24<sup>th</sup> March, 2025 as the Executive Director of the Bank with effect from the date of assumption of charge of the post till the date of his attaining the age of superannuation i.e. 31.05.2027, or until further orders, whichever is earlier, on the terms and conditions as determined by the Government of India, be and is hereby approved.”

**Item No. 8: To consider and approve the Appointment of M/s Agarwal S. & Associates as the Secretarial Auditor for carrying out Secretarial Audit and Issuance of Annual Secretarial Compliance Report for a term of 5 (five) years from FY 2025-26 to FY 2029-30.**

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 24A and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“the Listing Regulations”) read with Circulars issued thereunder from time to time and applicable provisions of the Companies Act, 2013 (“the Act”) and Rules made thereunder and in accordance with the recommendation of the Board of Directors of the Bank, M/s. Agarwal S. & Associates, a firm of Company Secretaries in practice, (Firm Registration Number: P2003DE049100) be and is hereby appointed as the Secretarial Auditors of the Bank for a term of 5 consecutive years, to conduct the Secretarial Audit commencing from financial year ending 31<sup>st</sup> March, 2026 and ending on 31<sup>st</sup> March, 2030 (‘the Term’) and to issue (i) the Secretarial Audit Report under Regulation 24A of the Listing Regulations for the Term and (ii) Secretarial Compliance Report, at a remuneration of Rs. 2,95,000/- (Rupees Two Lakh Ninety Five Thousand only) plus GST for 5 (five) years.



“ आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल (इसकी किसी भी समिति सहित) को ऐसे सभी कार्यों, डीड तथा ऐसे सभी कदम उठाने जो इस प्रस्ताव या इसके प्रासंगिक किसी भी अन्य मामले को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो के लिए अधिकृत किया जाता है ”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors (including any committees thereof) be and are hereby authorized to do all such acts, deeds and take all such steps as may be necessary to give effect to this resolution or any other matters incidental thereto.”

निदेशक मंडल के आदेश से  
कृते पंजाब नैशनल बैंक

By order of the Board of Directors  
For Punjab National Bank

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 04.06.2025

(बिक्रमजीत शोम)  
कंपनी सचिव

Place: New Delhi  
Date: 04.06.2025

(Bikramjit Shom)  
Company Secretary



## टिप्पणियाँ :

### 1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने मई, 2020 और मई, 2022, दिसंबर, 2022 एवं सितंबर 2023 में जारी अपने पूर्ववर्ती परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 19 सितंबर, 2024 के परिपत्र के माध्यम से कंपनियों को एमसीए परिपत्र(त्रों) में प्रदत्त संरचना के अनुसार 30 सितंबर 2025 तक वीसी या ओएवीएम के माध्यम से अपनी एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त सेबी ने दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 के अपने परिपत्र के माध्यम से आम बैठकों के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियमन 36(1)(बी) और विनियम 44(4) की प्रयोज्यता के संबंध में छूट को 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया है।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की 24वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसीओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसके लिए साझा स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना पंजाब नेशनल बैंक (शेयर एवं बैठके) विनियम, 2000 के विनियमन 58 के अंतर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी। 24वीं एजीएम के लिए मान्य स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई वोटिंग की सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाएगी।

शेयरधारक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं जो शेयरधारकों के लिए 27 जून, 2025 को प्रातः 10:30 बजे से अर्थात् एजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खुला रहेगा। वीसी/ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए निर्धारित रहेगा समय के 30 मिनट बाद बैंक/एनएसडीएल विंडो को बंद कर सकता है।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाने वाली वीसीओएवीएम सुविधा, पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1,000 शेयरधारकों की भागीदारी की अनुमति देती है। बैंक की शेयर पूंजी का 2% या अधिक शेयर रखने वाले, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक, आदि 'पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग ले सकते हैं।

### 2. इस नोटिस में यथानिर्धारित मद सं. 3 से 8 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाले प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं।

### 3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार शेयरधारक, अपने स्थान पर भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। उपर्युक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार, चूंकि शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दिया गया है, अतः प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी एवं इसलिए, प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए साधन एवं उपस्थिति पर्वी नोटिस के साथ संलग्न नहीं की जा रही है।

## NOTES:

### 1. Annual General Meeting through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM)

The Ministry of Corporate Affairs (MCA), has vide Circular dated 19<sup>th</sup> September, 2024 read with its preceding Circulars issued in May, 2020 & May, 2022, December, 2022 and September 2023 permitted the companies, to conduct their AGMs through VC or OAVM upto 30<sup>th</sup> September, 2025 in accordance with the framework provided in the MCA Circular(s). SEBI has also vide its Circular dated 03<sup>rd</sup> October, 2024 has further extended the relaxation with respect to applicability of Regulation 36(1)(b) and Regulation 44(4) of the SEBI (LODR) Regulations in respect of General Meetings till 30<sup>th</sup> September, 2025.

In accordance with the aforesaid Guidelines and the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 & the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the 24<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Bank is being conducted through VC/OAVM which does not require physical presence of shareholders at a common venue. The shareholders attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000. The deemed venue for the 24<sup>th</sup> AGM shall be the Head Office of the Bank.

The facility for participation in the AGM through VC/OAVM, voting through remote e-voting and e-voting during the AGM, will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

Shareholders may join the AGM through VC/OAVM facility which shall be kept open for the shareholders on 27<sup>th</sup> June, 2025 from 10:30 a.m. i.e., 30 minutes before the time scheduled to start the AGM. The Bank/NSDL may close the window for joining the VC/OAVM facility 30 minutes after the scheduled start time.

Shareholders may please note that the VC/OAVM facility, provided by NSDL, allows participation of at least 1,000 shareholders on a 'first-come, first-serve' basis. The shareholders holding 2% or more of the share capital of the Bank, Promoter, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc., can attend the AGM without any restriction on account of 'first-come, first-serve' basis.

### 2. The relevant Explanatory Statements setting out material facts in respect of Item Nos. 3 to 8 as set out in this Notice is annexed hereto.

### 3. Appointment of Proxy

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/ herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. Pursuant to the aforesaid MCA & SEBI Circulars, as the physical attendance of the Shareholders has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by shareholders will not be available for the AGM and therefore, the instrument for appointing proxy and attendance slip are not being attached to the Notice.



#### 4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने एवं/वा ई-वोटिंग के माध्यम से किसी निकाय कॉर्पोरेट के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रति बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् सोमवार, 23 जून, 2025 को कार्यदिवस समाप्ति से पूर्व अर्थात् सायं 5.00 बजे को या उससे पूर्व शेयर विभाग, पंजाब नेशनल बैंक, पश्चिमी विंग, द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075 को जमा कर दी जाए या एक प्रति [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) और [hosd@pnb.co.in](mailto:hosd@pnb.co.in) को प्रेषित करते हुए [sachin2022@gmail.com](mailto:sachin2022@gmail.com) पर ई-मेल द्वारा भेजी न गई हो।

बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

#### 5. लाभांश का भुगतान:

निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक ₹2/- प्रति इक्विटी शेयर पर ₹2.90 के लाभांश की संस्तुति की है।

लाभांश का भुगतान, यदि शेयरधारकों द्वारा 24 वीं वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, तो उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम प्रदर्शित हैं:

- लाभकारी स्वामी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में एनएसडीएल/सीडीएसएल के रिकॉर्ड के अनुसार शुक्रवार, 20 जून, 2025 को कारोबार के समय की समाप्ति पर एवं/या
- शुक्रवार, 20 जून, 2025 को शेयरधारकों के रजिस्टर में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों एवं मृतक शेयरधारकों के कानूनी उत्तराधिकारी से प्राप्त वैध ट्रांसमिशन अनुरोधों को प्रभावी करने के बाद।

लाभांश के भुगतान की रिकॉर्ड तिथि शनिवार, 20 जून, 2025 होगी।

**लाभांश भुगतान की तिथि शुक्रवार, 10 जुलाई, 2025 होगी।**

अतः, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पूर्ण बैंक विवरण को पंजीकृत/अपडेट करें।

- अपने डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट, जिसके साथ उनके डीमैट खाते हैं, यदि शेयर डीमैटरिलाइज्ड मोड में हैं, डीमैटरिलाइज्ड पार्टीसिपेट्स द्वारा अपेक्षित प्रपत्र एवं दस्तावेज जमा करके, एवं
- बैंक/बैंक के एसटीए के पास विधिवत भरे हुए केवाईसी फॉर्म—आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3/एसएच-13 के साथ—साथ पैन कार्ड की एसवी—सत्यापित प्रति, फोटो आईडी, पते के प्रमाण, रद्द चेक लीफ भेजकर, यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हो।

लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है। लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट बैंक द्वारा अपने रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (एसटीए) अर्थात् बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड के माध्यम से, लाभांश के भुगतान की तिथि से पहले, उन शेयरधारकों (डीमैट रूप में शेयर रखने वाले) के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे, जिन्होंने नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है।

**भौतिक शेयरों के संबंध लाभांश के भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी:**

सेबी ने अपने मास्टर परिपत्र संख्या सेवी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी - 1/पी/सीआईआर/2024/37 दिनांक 7 मई, 2024 के माध्यम से अन्य बातों के

#### 4. Appointment of an Authorised Representative:

No person shall be entitled to attend the AGM through VC/OAVM and/or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, shall have been deposited to the Share Department, Punjab National Bank, West Wing, Fifth Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075 or is sent to the Scrutinizer by e-mail to [sachin2022@gmail.com](mailto:sachin2022@gmail.com) with a copy marked to [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) and [hosd@pnb.co.in](mailto:hosd@pnb.co.in), not less than three days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. of Monday, 23<sup>rd</sup> June, 2025.

No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.

#### 5. Payment of Dividend:

The Board of Directors has recommended dividend of ₹2.90 per equity share of ₹2/- each for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2025.

The payment of dividend, if declared by the shareholders in the 24<sup>th</sup> Annual General Meeting, will be made to those shareholders whose names appear:

- as Beneficial Owners as at the close of business hours on Friday, 20<sup>th</sup> June, 2025 as per the record of NSDL/CDSL in respect of the shares held in electronic form and / or
- in the Register of shareholders as on Friday, 20<sup>th</sup> June, 2025 after giving effect to the valid transmission requests received from the shareholders & legal heirs of deceased holders holding shares in physical form.

The Record Date for payment of Dividend will be Friday, 20<sup>th</sup> June, 2025.

**The dividend payment date will be Thursday, 10<sup>th</sup> July, 2025.**

Shareholders are therefore requested to register/update their complete bank details:

- with their Depository Participant(s) with which they maintain their demat accounts, if shares are held in dematerialised mode, by submitting forms and documents as may be required by the Depository Participant(s); and
- with the Bank/Bank's STA by sending duly filled KYC form - ISR-1, ISR-2, ISR-3/SH-13 along with self-attested copy of pan card, photo id address proof, cancelled cheque leaf, if shares are held in physical mode.

Payment of dividend shall be made through electronic mode to the shareholders who have updated their bank account details. Dividend Warrants/Demand Drafts will be dispatched by the Bank through its Registrar and Share Transfer Agent (STA) viz. Beetal Financial & Computer Services (Pvt.) Ltd., before the date of payment of dividend, to the registered address of the shareholders (holding shares in demat form) who have not updated their bank account details, in accordance with regulatory guidelines.

**Important Information regarding Payment of Dividend in respect of physical shares:**

SEBI vide its Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated 7<sup>th</sup> May, 2024 has issued inter alia, guidelines on 'Common and

साथ-साथ, आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोध को संसाधित करने के लिए सामान्य और सरलीकृत मानदंड और पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के मानदंड पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। मास्टर परिपत्र के पैरा 19.1 में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों को उनके संबंधित फोलियो नंबर के लिए पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। उसी के क्रम में, पैरा 19.2 में पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन के बिना फोलियो में सेवाओं का लाभ उठाने और लाभान्श आदि के भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है:

**19.2. पैन, केवाईसी विवरण और बैंक खाता विवरण फोलियो:** प्रतिभूति धारक (को) जिनके फोलियो में पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर अपडेट नहीं हैं, वे:

- पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए में शिकायत दर्ज करने या किसी भी सेवा अनुरोध का लाभ उठाने हेतु पात्र होंगे।
- ऐसे फोलियो के संबंध में लाभान्श, ब्याज या मोचन भुगतान सहित किसी भी भुगतान के लिए, 01 अप्रैल 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्रतिभूति धारक को सूचना भेजी जाएगी कि ऐसा भुगतान देय है और मास्टर परिपत्र के पैरा 19.1 में बताई गई अपेक्षाओं का अनुपालन करने पर ही इलेक्ट्रॉनिक मोड से भुगतान किया जाएगा।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यदि आपके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, तो आपको वैध पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और अद्यतन नमूना हस्ताक्षर तुरंत निर्धारित फॉर्म होगा। (बैंक की वेबसाइट : [www.pnbindia.in](http://www.pnbindia.in) पर लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है: <https://www.pnbindia.in/Important-Announcement-to-Physical-Shareholders.html>), में बैंक के आरटीए को प्रस्तुत करना है। यदि अभी तक नहीं किया गया है, ताकि आप निर्वाह सेवा अनुरोधों के साथ-साथ बैंक खाते में लाभान्श क्रेडिट का लाभ उठा सकें, 01 अप्रैल, 2024 से भौतिक वारंट जारी करने के माध्यम से किसी लाभान्श का भुगतान नहीं किया जाएगा। आपकी सुविधा के लिए, आप इलेक्ट्रॉनिक लाभान्श भुगतान का लाभ उठाने के लिए भौतिक होल्डिंग को डीमैटरियलाइज भी कर सकते हैं।

## स्रोत पर कर कटौती:

वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा यथा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अनुसार 1 अप्रैल, 2020 के बाद बैंक द्वारा भुगतान या वितरित लाभान्श शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा। अतः बैंक में शेयरधारकों को लाभान्श का भुगतान करते समय निर्धारित दरों पर, स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती, जहां भी लागू हो, करनी होगी। विवरण के लिए, शेयरधारक इस नोटिस के साथ संलग्न अनुलग्नक देख सकते हैं।

## 6. मतदान का अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 3(2ई) के उपबंधों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10: से अधिक उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा। यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो रजिस्टर में सबसे पहले नामित व्यक्ति को, जहां तक मतदान का संबंध है, उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20, यथा संशोधित, के अनुसार बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने के हकदार शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

## 7. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान

- I. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम,

Simplified Norms for processing investor's service request by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination'. Para 19.1 of the Master Circular mandates all the holders of physical securities to furnish PAN, Choice of Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers. In continuation of the same, Para 19.2 lays down the procedure for availing services and payment of dividend etc., in the folios without PAN, KYC details and nomination which reads as under:

**19.2. Folios without PAN, KYC details and Bank Account Details:** The security holder(s) whose folio(s) do not have PAN, Contact Details, Bank Account Details and Specimen Signature updated, shall be eligible:

- to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing PAN, KYC details and Nomination.
- for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024. An intimation shall be sent by the Listed Company to the securityholder that such payment is due and shall be made electronically only upon complying with the requirements stated in para 19.1 of the Master Circular.

In view of the above, if you are holding shares in physical form, you are required to furnish valid PAN, Contact Details, Bank Account Details and updated Specimen Signature immediately to the Bank's RTA in the prescribed forms (available on the Bank's website: [www.pnbindia.co.in](http://www.pnbindia.co.in) under the link: <https://www.pnbindia.in/Important-Announcement-to-Physical-Shareholders.html>), if not already done, to avail uninterrupted service requests as well as credit of dividend in bank account, as no dividend will be paid by way of issuance of physical warrant, with effect from 01<sup>st</sup> April, 2024. For your convenience, you may also dematerialise the physical holding so as to avail the benefit of electronic dividend payment.

## Tax Deductible at Source:

As per the Income-tax Act, 1961 (the Act), as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by the Bank after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders. The Bank shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the prescribed rates, wherever applicable, at the time of making the payment of dividend to the shareholders. For details, shareholders may refer to the Annexure appended to this Notice.

## 6. Voting Rights

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended), no shareholder of the Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

## 7. Voting through Electronic Means

- I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and provisions



2014 के नियम 20 के अंतर्गत प्रावधानों, यथासंशोधित, एमसीए परिपत्रों के साथ पठित के अनुसरण में, बैंक अपने शेयरधारकों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग) द्वारा एजीएम में लेन-देन किए जाने वाले कार्यों के संबंध में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। ई-वोटिंग के माध्यम से बोट डालने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि शनिवार, 20 जून, 2025 है।

- II. वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे एवं रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्ताव (वॉ) पर अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम के दौरान ई वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
- III. जिन शेयरधारकों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना बोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें पुनः वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
- IV. रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:
  - ए. रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 24 जून 2025 को प्रातः 09.00 बजे शुरू होगी एवं गुरुवार, 26 जून, 2025 को सायं 05.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, शुक्रवार, 20 जून, 2025 की कट ऑफ तिथि को भौतिक रूप में या डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा।
  - बी. रिमोट ई वोटिंग के लिए प्रक्रिया एवं तरीके का विवरण यहां नीचे दिया गया है:

एनएसडीएल ई वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के तरीके में श्रद्धा चरण शामिल हैं जो इस प्रकार हैं:

#### **चरण 1 : एनएसडीएल ई वोटिंग सिस्टम में एक्सेस**

- ए. ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि एवं डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होना।
 

सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के निबंधनों के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को अपने डीमैट खातों/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइट के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपने मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी को अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders the facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL). **The cut-off date for determining the eligibility of shareholders to cast vote through e-voting is Friday, 20<sup>th</sup> June, 2025.**

- II. Those shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolution(s) through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.
- III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the meeting through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- IV. The instructions for remote e-voting are as under:
  - a. The remote e-voting period begins at 09.00 a.m. of Tuesday, 24<sup>th</sup> June, 2025 to 05.00 p.m. of Thursday, 26<sup>th</sup> June, 2025. During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Friday, 20<sup>th</sup> June, 2025 may cast their vote electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL.
  - b. The details of the process and manner for remote e-voting are explained herein below:

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are as follows:

#### **Step 1: Access to NSDL e-Voting system**

##### **A) Login method for e-Voting and joining the virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.**





In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on 'e-Voting facility provided by Listed Companies', Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile numbers and email Ids in their demat accounts in order to access e-Voting facility.





The login method for individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OTP आधारित लॉगिन के लिए आप <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp</a> पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपना 8 अंकों का DP ID, 8 अंकों का क्लाइंट ID, PAN नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और OTP जनरेट करना होगा। पंजीकृत ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको NSDL डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। बैंक के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी NSDL पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए NSDL की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</li> <li>2. मौजूदा आईडीईएस (IDeAS) उपयोगकर्ता अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल से एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट अर्थात् <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a> पर जा सकते हैं। ई-सर्विसेज होम पेज पर 'लॉगिन' के अंतर्गत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें जो 'IDeAS' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है, इसमें आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप वेबसाइट के अंतर्गत ई वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत 'Access to e-Voting' पर क्लिक करें एवं आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। बैंक के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें एवं आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग एवं मीटिंग के दौरान मतदान में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</li> <li>3. यदि आप IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण करने का विकल्प <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a> पर उपलब्ध है। "Register Online for IDeAS Portal" पोर्टल का चयन करें या <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</a> पर क्लिक करें।</li> </ol>

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. For OTP based login you can click on <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp</a>. You will have to enter your 8-digit DP ID, 8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on Bank's name or <b>e-Voting service provider i.e. NSDL</b> and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting.</li> <li>2. Existing <b>IDeAS</b> user can visit the e-Services website of NSDL Viz. <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a> either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the "<b>Beneficial Owner</b>" icon under "<b>Login</b>" which is available under '<b>IDeAS</b>' section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on "<b>Access to e-Voting</b>" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on Bank's name or <b>e-Voting service provider i.e. NSDL</b> and you will be re-directed to <b>e-Voting website of NSDL</b> for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting.</li> <li>3. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a>. Select "<b>Register Online for IDeAS Portal</b>" or click at <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</a></li> </ol>



शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
	<p>4. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल <a href="https://eservices.nsdl.com/">https://eservices.nsdl.com/</a> टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड को दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल निक्षेपागार साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। बैंक या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता-एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p> <p>5. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे दिये गए क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप "NSDL Speede" भी डाउनलोड कर सकते हैं।</p> <p><b>NSDL Mobile App is available on</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   </div> <div style="text-align: center;">   </div> </div>
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	<p>1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल Easi / Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणिकरण के ई-वोटिंग पेज तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi / Easiest लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल वेबसाइट <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> पर जाएं एवं लॉगिन आइकन एवं New System Myeasi टैब पर क्लिक करें एवं फिर अपने मौजूदा Easi उपयोगकर्ता नाम एवं पासवर्ड का उपयोग करें।</p>

Type of shareholders	Login Method
	<p>4. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <a href="https://www.evoting.nsdl.com/">https://www.evoting.nsdl.com/</a> either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen-digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on Bank's name or <b>e-Voting service provider i.e. NSDL</b> and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting.</p> <p>5. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App "NSDL Speede" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.</p> <p><b>NSDL Mobile App is available on</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   </div> <div style="text-align: center;">   </div> </div>
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	<p>1. Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> and click on login icon &amp; New System Myeasi Tab and then use your existing my easi username &amp; password.</p>

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
	<p>2. सफल लॉगिन के बाद, Easi / Easiest उपयोगकर्ता पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे, जहां बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग प्रगति पर है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग एवं वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी प्रदान किए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें।</p> <p>3. यदि उपयोगकर्ता Easi / Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> पर उपलब्ध है एवं लॉगिन एवं New System Myeasi टैब पर क्लिक करें एवं फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।</p> <p>4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या एवं पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> उपयोग कर सकता है। सिस्टम पंजीकृत मोबाइल एवं ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज किया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई वोटिंग विकल्प देख पाएंगे जहां ई वोटिंग प्रगति पर है एवं सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंचने में सक्षम होगा।</p>
अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से लॉगिन करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारित करने वाले)	<p>आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट अकाउंट के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। बैंक के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें एवं आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग एवं वोटिंग में शामिल होने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।</p>

Type of shareholders	Login Method
	<p>2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by the Bank. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.</p> <p>3. If the user is not registered for Easi/ Easiest, option to register is available at CDSL website <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> and click on login &amp; New System Myeasi Tab and then click on registration option.</p> <p>4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile &amp; Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.</p>
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	<p>You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on Bank's name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting &amp; voting during the meeting.</p>



**महत्वपूर्ण नोट:** जो शेयरधारक यूजर आईडी/पासवर्ड पुनःप्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी एवं फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉग-इन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक <a href="https://evoting.nsdl.com">evoting/nsdl.com</a> पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022 4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक <a href="https://helpdesk.evoting/cdslindia.com">helpdesk.evoting/cdslindia.com</a> पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-21-0991 पर संपर्क कर सकते हैं।

बी. डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन करने के चरण

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल से टाइप करके वेब ब्राउजर पर निम्नलिखित URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> खोलें।
2. ई-वोटिंग प्रणाली का मुख्य पेज खुलने के बाद, 'लॉगिन आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी स्क्रीन पर दिखने वाली उपयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ईसर्विसेज अर्थात IDEAS के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ईसर्विसेज में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं अर्थात अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं।

4. आपकी यूजर आईडी विवरण इस प्रकार हैं:

शेयर धारित करने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका यूजर आईडी है:
क) शेयरधारकों के लिए जो एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	8 अंकों के ग्राहक आईडी के बाद 8 कैरक्टर की डीपीआईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपीआईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12***** होगी।

**Important note:** Shareholders who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned websites.

**Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.**

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:evoting@nsdl.com">evoting@nsdl.com</a> or call at 022 - 4886 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> or contact at toll free no. 1800-21-09911

**B) Login Method for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.**

**Steps to Log-in to NSDL e-Voting website**

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below:

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID  For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.

ख) सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12 ***** है तो आपकी यूजर आईडी 12***** होगी।
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए।	इवन नंबर के बाद बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए, यदि फोलियो नंबर 001*** है और इवन 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगी।

b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example, if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank For example, if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों हेतु पासवर्ड विवरण निम्नानुसार है:

- ए. यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग लॉगिन और अपना वोट डालने के लिए कर सकते हैं।
- बी. यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको प्रारंभिक पासवर्ड पुन प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना प्रारंभिक पासवर्ड पुन प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको प्रारंभिक पासवर्ड दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

सी. अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें ?

- (i) यदि आपकी ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते में या बैंक के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ई-मेल आईडी पर सूचित किया जाता है। ई-मेल खोलें और संलग्न अर्थात पीडीएफ फाइल खोलें। पीडीएफ फाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की ग्राहक आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। पीडीएफ फाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका प्रारंभिक पासवर्ड होता है।
- (ii) यदि आपकी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है के अंतर्गत दिए गए चरणों का पालन करें।

6. यदि आप अपना पासवर्ड पुन प्राप्त करने में असमर्थ हैं या "प्रारंभिक पासवर्ड" प्राप्त नहीं हुआ है या भूल गए हैं:

- ए. [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध "Forgot User Details/ Password?" विकल्प पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं )
- बी. Physical User Reset Password?" (यदि आप भौतिक मोड में शेयर रख रहे हैं) विकल्प [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध है।
- सी. अगर आप अभी भी उपर्युक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने डीमैट अकाउंट नंबर/फोलियो नंबर, अपने पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते आदि का उल्लेख करते हुए [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) पर अनुरोध भेज सकते हैं।

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

- a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password', and the system will force you to change your password.
- c) How to retrieve your 'initial password'?
- (i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8-digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
- (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered.**

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

- a) Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).
- b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).
- c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.



डी. शेयरधारक एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "नियम एवं शर्तें (Terms and Conditions)" से सहमत पर टिक करें।
8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा
9. लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा

**चरण 2 : एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक रूप से भाग लेने और अपना वोट डालने का विवरण निम्नानुसार है :**

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों के "EVEN" देख पाएंगे जिनमें आप शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक 'सक्रिय' स्थिति में है।
2. पंजाब नेशनल बैंक के "EVEN" का चयन करें जिसके लिए आप दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं या आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वस्तुतः एजीएम में शामिल होने के लिए आपको "Join Meeting" के अंतर्गत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि ई-वोटिंग पेज खुल गया है।
4. उचित विकल्पों का चयन करके अपना वोट डालें अर्थात सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और 'सबमिट' पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर "Confirm" पर भी क्लिक करें।
5. पुष्टि होने पर "Vote cast successfully" संदेश प्रदर्शित होगा।
6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
7. **एक बार प्रस्ताव पर अपने वोट की पुष्टि करने के बाद आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।**

**शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश**

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, स्कूटिनाइजर को ई-मेल द्वारा [ashugupta.cs@gmail.com](mailto:ashugupta.cs@gmail.com) या [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर चिह्नित एक प्रति के साथ भेजना होगा। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) अपने लॉगिन में 'ई-वोटिंग' टैब के तहत प्रदर्शित 'अपलोड बोर्ड रिजोल्यूशन/अथोरिटी लेटर' पर क्लिक करके अपने बोर्ड रिजोल्यूशन/अथोरिटी लेटर आदि को भी अपलोड कर सकते हैं।
2. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ आप अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में कुंजी के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" या "Physical User Reset Password?" विकल्प पर जाना होगा।

d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on "Login" button.
9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

**Step 2: Cast your vote electronically and join the AGM on NSDL e-Voting system**

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in 'active' status.
2. Select "EVEN" of Punjab National Bank for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining the AGM virtually, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join Meeting".
3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/ modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
7. **Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.**

**General Guidelines for shareholders**

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to [sachincs2022@gmail.com](mailto:sachincs2022@gmail.com) with a copy marked to [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com). Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution/Authority Letter, etc. by clicking on "Upload Board Resolution/Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) to reset the password.

3. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को और [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका को संदर्भित कर सकते हैं या नंबर : 022-48867000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी महात्रे, वरिष्ठ प्रबन्धक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. तृतीय तल, नमन चेम्बर, प्लॉट सी-32, जी ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र-400051 को [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेज सकते हैं।

ऐसे शेयरधारक जिनकी ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु ई-मेल आईडी के पंजीकरण की पंजीकरण प्रक्रिया

1. यदि शेयर भौतिक मोड में धारित हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक के नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे की स्कैन की गई प्रति), पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति ई-मेल द्वारा बैंक के एसटीए को [beetalrta@gmail.com](mailto:beetalrta@gmail.com) पर भेजें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में है, तो कृपया शेयरधारक डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी, सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), अपना नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति के साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित स्कैन की गई प्रति बैंक के एसटीए को [beetal@beetalfinancial.com](mailto:beetal@beetalfinancial.com) ई-मेल पर भेजें। यदि आप एक डीमैट मोड में प्रतिभूतियों के व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे चरण 1 (ए) अर्थात् 'डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्युअल मीटिंग में शामिल होने और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन की विधि' में बताई गई लॉगिन विधि का सन्दर्भ लेने का अनुरोध किया जाता है।
3. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक उपर्युक्त उल्लेखित दस्तावेजों को प्रदान करके ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए [evoting@nsdl.com](http://evoting@nsdl.com) को अनुरोध कर सकते हैं।
4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर 9 दिसंबर 2020 के सेबी परिपत्र के संदर्भ में, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

एजीएम के दिन ई-वोटिंग हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. एजीएम के दिन ई वोटिंग की प्रक्रिया उसी तरह से है जैसे रिमोट ई-वोटिंग हेतु उपर्युक्त उल्लेख किए गए निर्देश हैं।
2. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाले और ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं, वो एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
3. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

3. In case of any queries, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on: 022-48867000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Ltd., 3rd Floor, Naman Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra - 400051 at the designated email address: [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) or at telephone no. 022- 48867000.

**Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e- mail ids for e-voting for the resolutions set out in this Notice:**

1. In case shares are held in physical mode, please provide folio no., name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR card by email to the Bank's STA at [beetalrta@gmail.com](mailto:beetalrta@gmail.com).
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID+CLID or 16 digit Beneficiary ID), name, client master or copy of consolidated account statement, self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR Card) to the Bank's STA at [beetalrta@gmail.com](mailto:beetalrta@gmail.com). If you are an Individual shareholder, holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **Step 1 (A)** i.e. "Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode".
3. Alternatively, shareholders may send a request to [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) for procuring user id and password for e-voting by providing the abovementioned documents.
4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

**Instructions for shareholders for E-Voting on the day of AGM are as under:**

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is the same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolution(s) through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
3. Shareholders who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the AGM, however, they will not be eligible to vote at the AGM.



4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिन व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है, उनका विवरण रिमोट ई-वोटिंग के लिए यथा उल्लिखित अनुसार ही होगा।

**शेयरधारकों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:**

1. शेयरधारक एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम सुविधा के द्वारा एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे। शेयरधारक एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम के एक्सेस के लिए उपर्युक्त उल्लिखित चरणों का पालन करके एक्सेस कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप बैंक के नाम के सामने 'मीटिंग' में शामिल हों' मेन्यू में दिए गए 'वीसी/ओएवीएम लिंक' का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि "Join Meeting" मेन्यू के अंतर्गत दिए गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक 'शेयरधारक/सदस्य लॉगिन' में उपलब्ध होगा जहां बैंक का EVEN प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे अंतिम समय पर भागदौड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
2. बेहतर अनुभव हेतु शेयरधारक लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं।
3. इसके अलावा, बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने हेतु शेयरधारकों के पास अच्छी गति के साथ इंटरनेट सुविधा होनी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले शेयरधारकों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो परेशानी का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उपर्युक्त रुकावट को कम करने हेतु स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की संस्तुति की जाती है।
4. शेयरधारक, जो एजीएम के दौरान एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें अपने नाम डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपनी पंजीकृत ई-मेल आईडी से अपना अनुरोध बैंक की [hosd@pnb.co.in](mailto:hosd@pnb.co.in) ई-मेल आईडी पर 07 जून, 2025 को सायं 05.00 बजे या उससे पहले भेजकर खुद को 'स्पीकर' के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता है। केवल उन्हीं शेयरधारकों को जिन्होंने खुद को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।
5. शेयरधारक एजीएम में अपने पंजीकृत ई-मेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए बैंक की ईमेल [hosd@pnb.co.in](mailto:hosd@pnb.co.in) पर कारोबार के संबंध में 07 जून 2025 को शाम 05.00 बजे या उससे पहले प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारक प्रश्न बॉक्स विकल्प के माध्यम से प्रश्न/प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। शेयरधारकों द्वारा पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्नों पर बैठक के दौरान उठाया जाएगा या बाद में बैंक द्वारा उपयुक्त रूप से उत्तर दिया जाएगा।
6. संस्थागत निवेशक, जो बैंक के शेयरधारक हैं, से अनुरोध है कि वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित रहें।
8. **संवीक्षक**  
मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए बैंक द्वारा संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

4. The details of the persons who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-voting on the day of the AGM shall be the same as mentioned for remote e-voting.

**Instructions for shareholders for attending the AGM through VC/OAVM are as under:**

1. Shareholders will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Shareholders may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system**. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under **"Join Meeting"** menu against the name of the Bank. You are requested to click on VC/OAVM link placed under 'Join Meeting' menu. The link for VC/OAVM will be available in 'Shareholder/Member login' where the EVEN of Bank will be displayed. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the Notice to avoid last minute rush.
2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further, shareholders should have internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. Please note that the participants connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
4. Shareholders, who would like to express their views/ask questions during the AGM with regard to the business to be transacted at the AGM, need to register themselves as a 'Speaker' by sending their request from their registered email id mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to the Bank's email id at [hosd@pnb.co.in](mailto:hosd@pnb.co.in) on or before 05.00 p.m. of 07<sup>th</sup> June 2025. Only those shareholders who have registered themselves as a 'Speaker', will be allowed to express their views/ ask questions during the meeting.
5. Shareholders can submit questions with regard to the business to be transacted at the AGM from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to the Bank's email id at [hosd@pnb.co.in](mailto:hosd@pnb.co.in) in advance on or before 05.00 p.m. of 07<sup>th</sup> June 2025. Shareholders who will participate in the AGM through VC/OAVM can also pose question/feedback through question box option. Such questions by the Shareholders shall be taken up during the meeting or suitably replied to by the Bank, later.
6. Institutional Investors, who are shareholders of the Bank, are requested to be present in the AGM through VC/OAVM Facility.
8. **Scrutinizer**

M/s Agarwal S. & Associates, Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

संवीक्षक, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर बैठक के अध्यक्ष को दिए गए कुल मतों पर एक समेकित संवीक्षककर्ता की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसके बाद, बैंक स्टॉक एक्सचेंजों, एनएसडीएल और बैंक की वेबसाइट पर संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम प्रस्तुत कर मतदान के परिणाम घोषित करेगा।

## 9. अदावाकृत लाभांश

शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई लाभांश राशि इसकी देय तिथि से 7 वर्षों तक अवैतनिक/अदावी है, तो उक्त अदत्त/अदावाकृत राशि को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसरण में 'निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ)' में अंतरित किया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2015-16 तक के लाभांश की अदत्त/अदावाकृत राशि को आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है।

जिन शेयरधारकों ने वित्त वर्ष 2021-22 वित्त वर्ष 2022-23 और वित्तवर्ष 2023-24 के लिए लाभांश प्राप्त नहीं किया है/दावा नहीं किया है, उनसे जल्द से जल्द इसका दावा करने का अनुरोध किया जाता है। यदि दावा नहीं किया गया है, तो अदत्त लाभांश लागू दिशानिर्देशों में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार आईईपीएफ को अंतरित कर दिया जाएगा।

बैंक के पास पड़े अदत्त/अदावाकृत लाभांश का वर्ष वार डेटा बैंक की वेबसाइट ([www.pnbindia.in](http://www.pnbindia.in)) पर उपलब्ध है।

## 10. अन्य जानकारी

ए. सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 के अनुसार, सेबी परिपत्र के साथ पठित और एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 इसके पूर्ववर्ती परिपत्रों के साथ पठित वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें बैंक की 24 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना शामिल है, अन्य बातों के साथ-साथ, ई-वोटिंग की प्रक्रिया और विधि आदि का सूचना सभी शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजी जा रही है जिनकी ई-मेल आईडी बैंक के एसटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है।

बी. शेयरधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एजीएम की सूचना शामिल है, को बैंक की वेबसाइट [www.pnbindia.in](http://www.pnbindia.in) स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर की वेबसाइट क्रमशः [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर और एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध कराया गया है।

सी. बैंक द्वारा की गई 'हरित पहल के अनुरूप शेयरधारकों से अनुरोध है कि, भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में बैंक के एसटीए के साथ और इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करवाएं।

डी. नाम, डाक पता, ई-मेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एनआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, आदि से संबंधित परिवर्तनों के मामले

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting within two working days of conclusion of the AGM and thereafter, the Bank shall declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges, NSDL and the Bank.

## 9. Unclaimed Dividend

Shareholders are hereby informed that if any dividend amount remains unpaid/ unclaimed for 7 years from its due date, the said unpaid/unclaimed amount has to be transferred to the 'Investor Education & Protection Fund' (IEPF), pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The unpaid/unclaimed amount of Dividend upto FY 2015-16 has already been transferred to IEPF.

The shareholders who have not received/claimed the dividend(s) for FY 2021-22, FY 2022-23 and FY 2023-24 are requested to claim the same at the earliest. If not claimed, the unpaid dividend will be transferred to IEPF in accordance with the timelines prescribed in the applicable guidelines.

The year-wise data of unpaid/unclaimed dividend lying with the Bank is available on the Bank's website ([www.pnbindia.in](http://www.pnbindia.in)).

## 10. Other Information

a) Pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 03<sup>rd</sup> October, 2024 read with its preceding Circulars and the MCA General Circular No. 09/2024 dated 19<sup>th</sup> September, 2024 read with its preceding Circulars, the Annual Report for FY 2024-25 containing the Notice of the 24<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Bank's STA/Depository Participant(s).

b) Shareholders may also note that the Annual Report for FY 2024-25 inter alia containing the Notice of AGM is also being made available on the Bank's website [www.pnbindia.in](http://www.pnbindia.in), websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively, and on the website of NSDL i.e. [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)

c) In consonance with the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders holding shares in physical form are requested to get their email ids registered with the Bank's STA in case of shares held in physical form and Depository Participant in case of shares held in electronic form.

d) In case of changes, if any, pertaining to name, postal address, email address, telephone/mobile number, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the



में, शेयरधारक भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में बैंक के एसटीए के साथ और इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में उनके संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के साथ अपडेट करवा सकते हैं।

ई. शेयरधारक जो भौतिक रूप में कई फोलियो में समान नामों या नामों के समान क्रम में संयुक्त नामों में शेयर रखते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे एक ही फोलियो में समेकन के लिए एसटीए को अपने शेयर प्रमाण पत्र भेजें।

एफ. भौतिक धारिता का डिमटेरियलाइजेशन : यथा संशोधित सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 40 के अनुसार, पारोषण और अंतरण अनुरोधों सहित प्रतिभूतियों के अंतरण के सभी अनुरोधों पर केवल डिमटेरियलाइजेशन रूप में कार्रवाई की जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने और डिमटेरियलाइजेशन के विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए, शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे भौतिक रूप में उनके द्वारा धारित शेयरों को डिमटेरियलाइज करें। शेयरधारक इस संबंध में सहायता के लिए बैंक या बैंक के एसटीए से संपर्क कर सकते हैं।

जी. शेयरों के डिमटेरियलाइजेशन की प्रक्रिया बैंक की वेबसाइट अर्थात् <https://www.pnbindia.in/> पर 'निवेशक जानकारी' के अंतर्गत उपलब्ध है।

#### व्याख्यात्मक कथन :

##### ■ मद संख्या 3 :

सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 23 (4) के अनुसार, सभी सामग्री संबंधी पक्षकार लेन-देनों के लिए साधारण संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है, इस तथ्य के बावजूद कि ये पर्याप्त आधार पर और कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में होते हैं। एक संबंधित पार्टी लेन-देन को 'सामग्री' माना जाता है यदि वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेन-देन के साथ लिया जाने वाला लेन-देन ₹1000 करोड़ या सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी कम हो, से अधिक है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित सामग्री संबंधित पार्टी लेन-देन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा जाता है:

विवरण	लेनदेन का विवरण		
संबन्धित पार्टी का नाम और बैंक के साथ उसका संबंध	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट)	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसोसिएट)

shareholders may get the same updated with the Bank's STA, in case of shares held in physical form, and with their respective Depository Participant(s), in case of shares held in electronic form.

- Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the STA for consolidation into a single folio.
- Dematerialization of Physical Holdings: As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, all requests for transfer of securities including transmission and transposition requests shall be processed only in dematerialized form. In view of the same and to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of dematerialisation, Shareholders are advised to dematerialise the shares held by them in physical form. Shareholders can contact the Bank or Bank's STA for assistance in this regard.
- The process of dematerialisation of shares is available on the Bank's website i.e. <https://www.pnbindia.in/> under 'Investor Info'.

#### Explanatory Statement:

##### ■ Item No.3:

In terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

Particulars	Details of Transactions		
Name of Related Party and its relationship with the Bank	PNB Gilts Limited (Subsidiary)	PNB Housing Finance Limited (Associate)	PNB Metlife India Insurance Company Limited (Associate)

विवरण	लेनदेन का विवरण		
लेन-देन के प्रकार	<p>एकमुश्त प्रतिभूति लेन-देन (प्रतिभूतियों की बिक्री/ खरीद) मुद्रा बाजार लेन-देन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता और ऐसे अन्य लेन-देन प्रासंगिक वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स में खुलासा किया गया है।</p>		
प्रस्तावित लेन-देन की तात्त्विक शर्तें और विवरण	<p>एकमुश्त प्रतिभूति लेन-देन/मुद्रा बाजार लेन-देन/ प्रतिभूतियों का प्राथमिक अंशदान, बैंक के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार प्रचलित बाजार मूल्य/प्रतिभूतियों के उचित मूल्य के अनुसार किया जाएगा। एनसीडी जारी करने के लिए पीएनबी गिल्ट्स की व्यवस्था करने वाली सेवाओं का उपयोग पीएनबी द्वारा जारी की गई आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा और सभी प्रबन्धकों के लिए बैंक द्वारा तय किए गए अरेंजरशिप शुल्क का भुगतान एक समान होगा।</p>		
प्रस्तावित लेन-देन की अवधि	24वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि से अगली वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पन्द्रह माह से अधिक अवधि के लिए नहीं	24वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि से अगली वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पन्द्रह माह से अधिक अवधि के लिए नहीं	24वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि से आगामी वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पन्द्रह माह से अधिक अवधि के लिए नहीं
प्रस्तावित लेन-देन का मूल्य (₹राशि करोड़ में)	6000.00 तक	6000.00 तक	2000.00 तक

Particulars	Details of Transactions		
Type of Transaction	<p>Outright securities transactions (sale / purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP in which PNB Gilts may be arranger/one of the arrangers to the issue and also such other transactions as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year</p>		
Material terms and particulars of the proposed transaction	<p>Outright securities transactions/money Market transactions/ Primary subscriptions of securities, will be done as per the prevailing market price/ Fair value of securities in line with Bank's Policy Guidelines.</p> <p>Arranger services of PNB Gilts for NCD issuances shall be utilised as per PNB's issue requirement and payment of arrangership fee shall be uniform to all the arrangers as decided by the Bank.</p>		
Tenure of the proposed transaction	From the date of the 24 <sup>th</sup> AGM till the date of next AGM for a period not exceeding fifteen months	From the date of the 24 <sup>th</sup> AGM till the date of next AGM for a period not exceeding fifteen months	From the date of the 24 <sup>th</sup> AGM till the date of next AGM for a period not exceeding fifteen months
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	upto 6000.00	upto 6000.00	upto 2000.00



विवरण	लेनदेन का विवरण		
तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात् बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय का प्रतिशत, प्रस्तावित लेन-देन (31.03.2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर) के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है।	4.27%	4.27%	1.42%
31.03.2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए एकल आधार पर सहायक कंपनी के वार्षिक कारोबार के आधार पर गणना की गई प्रतिशतता	0.81%	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण के साथ साथ कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेन-देन:			
किए गए वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण	बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। धन का उपयोग बैंकिंग के सामान्य प्रक्रिया से किया जाएगा।		
जहां कोई वित्तीय ऋणग्रस्तता, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम निवेश करने या देने के लिए लिया जाता है ए. ऋणग्रस्तता की प्रकृति : बी. निधियों की लागत : सी. अवधि :	बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। लेन देन 24वीं एजीएम की तारीख से अगले एजीएम की तारीख तक पंद्रह महीने से अधिक की अवधि के लिए किए जाने का प्रस्ताव है। कार्यकाल जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार होगा।		

Particulars	Details of Transactions		
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover, for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2025)	4.27%	4.27%	1.42%
Percentage calculated on the basis of the subsidiary's annual turnover on a standalone basis for FY ended 31.03.2025	0.81%	NA	NA
Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary:			
Details of Financial Indebtedness incurred	The Bank will not incur any specific Financial indebtedness. The funds will be utilized from normal course of Banking.		
Where any Financial indebtedness is incurred to make or give loans, inter-corporate deposits, advances investments a. nature of indebtedness: b. cost of funds: c. tenure:	The Bank will not incur any specific financial indebtedness. The Transactions are proposed to be undertaken from the date of the 24 <sup>th</sup> AGM till the date of next AGM for the period not exceeding fifteen months. The Tenure will be as per terms of the securities issued.		

विवरण	लेनदेन का विवरण
अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची, चाहे प्रतिभूत हो या अप्रतिभूतय यदि प्रतिभूत है, तो प्रतिभूत की प्रकृति सहित यथा लागू शर्तें।	लागू शर्तें बैंक की नीति/नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी। ये लेन-देन बैंक की नीति/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के सामान्य कारोबार के अनुरूप एक स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर किए जाएंगे।  ब्याज दरें प्रचलित बाजार दर पर आधारित होंगी या बाहरी बेंचमार्क से जुड़ी होंगी।  चुकोती अनुसूची उधारकर्ताओं के साथ सहमत शर्तों के अनुसार होगी।
जिस उद्देश्य के लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।	निधि का उपयोग केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित इच्छित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है, इसका औचित्य	बैंक सक्रिय रूप से प्रतिभूतियों की खरीद (संबंधित/ असंबंधित पार्टियों द्वारा जारी), तुलन पत्र का प्रबंधन करने के लिए, और बाजार के अवसरों का लाभ उठाकर व्यापार/निवेश पोर्टफोलियों से लाभ को अनुकूलित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रतिबद्ध है और इसलिए बैंक के हित में है।  इसके अलावा, पीएनबी गिल्ट्स डेट मार्किट में एक प्रमुख खिलाड़ी है, लेन देन बाजार दरों पर किया जाएगा, ताकि पीएनबी बाजार के अवसर से न चूके।
मूल्यांकन या अन्य बाह्य पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं
प्रतिपक्ष के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया जाता है;	लागू नहीं

Particulars	Details of Transactions
Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security.	The applicable terms will be in accordance with the Bank's Policy/ Regulatory Guidelines. <b><i>The transactions, shall be undertaken on an arm's length basis in the normal course of business of the Bank in accordance with the Bank's Policy/ Regulatory Guidelines.</i></b>  The interest rates shall be based on prevailing market rate or linked to external benchmark.  Repayment Schedule shall be as per the terms agreed with the borrowers.
The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	The funds will be utilized solely for the intended purpose as approved by the Competent Authority.
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank	The Bank is engaged in purchase/sale of securities (issued by Government of India, State Governments, PSUs, Corporates etc. which may be related or unrelated to the Bank) during its normal course of business, to optimise profits from trading/investment portfolio by taking advantage of market opportunities and the transaction is therefore, in the interest of the Bank.  Further, PNB Gilts is one of the major players in Debt Market and is a primary dealer. The transactions shall be carried out at Market rates, so that PNB does not miss out on a market opportunity.
Valuation or other external party report	Not applicable
Percentage of the counter-party's annual consolidated turnover that is represented by the value of the proposed RPT on a voluntary basis;	Not available



एक ओर बैंक के बीच प्रस्तावित लेन-देन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त उल्लिखित संबंधित पार्टियों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक होने जा रहा है [अर्थात् सेबी सूचीकरण विनियमों के तहत 'सामग्री से संबंधित पार्टी लेन-देन' की सीमा से अधिक अर्थात् ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात् वार्षिक समेकित कुल आय) का 10%, जो भी हो कम हो] लेन-देन संबंधित पार्टियों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किया जाएगा।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति ने उपरोक्त सामग्री संबंधी पार्टी लेन-देन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी संस्तुति की है कि मद संख्या 3 में रखी गई प्रस्तावित सामग्री से संबंधित पार्टी लेन-देन, शेयरधारकों के समक्ष उनके अनुमोदन हेतु एजीएम में सामान्य संकल्प के रूप में रखा जाए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष/पार्टी नोटिस के मद संख्या 3 पर सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए वोट नहीं करेंगे।

#### ■ मद संख्या 4

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी सामग्री से संबंधित पक्ष लेन-देन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे व्यापार पहुंच के भीतर और सामान्य प्रक्रिया में हैं। एक संबंधित पक्ष के लेन-देन को 'सामग्री' के रूप में माना जाता है यदि लेन-देन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या पिछले लेन-देन के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक साथ लिया जाता है, जो पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का 1000 करोड़ या 10% से अधिक है। सूचीबद्ध इकाई के विवरण, जो भी न्यूनतम हो।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित सामग्री संबंधित पक्ष की लेन-देन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है:

विवरण	लेन-देन का विवरण	
संबंधित पक्ष का नाम और बैंक के साथ इसके संबंध	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक)	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक)
लेन-देन का प्रकार	संबंधित पक्षों सहित अपने ग्राहकों को अपने सामान्य बैंकिंग कारोबार के हिस्से के रूप में, लाइन ऑफ क्रेडिट, के रूप में ऋण और अग्रिम। (लागू अवधि के दौरान नवीकरण के अधीन स्वीकृत कोई भी सीसी/ओडी सीमा, समग्र सीमा की गणना करते समय विचार की जाएगी)	
प्रस्तावित लेनदेन के भौतिक नियम और विवरण	प्रस्तावित लेन-देन के नियम और शर्तें बैंक की नीति/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।	

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is going to be more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower] The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 3, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party(ies) shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 3 of the Notice.

#### ■ Item No.4:

In terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

Particulars	Details of Transactions	
Name of Related Party and its relationship with the Bank	PNB Gilts Limited (Subsidiary)	PNB Housing Finance Limited (Associate)
Type of Transaction	Loans and Advances in the form of Line of Credit etc., as part of its normal banking business to its customers including related parties. (Any CC/OD limit sanctioned, subject to renewal during the applicable period, to be considered while computing the overall limit)	
Material terms and particulars of the proposed transaction	The terms and conditions of the proposed transactions shall be in accordance with the Bank's Policy/Regulatory Guidelines.	

प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	4000.00 तक	7100.00 तक
संबंधित पक्ष के सरोकार या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय	
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात् बैंक की वार्षिक समेकित कुल आय) का प्रतिशत, प्रस्तावित लेन-देन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है (31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर)	2.85%	5.05%
31.03.2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए एकल आधार पर सहायक कंपनी के वार्षिक कारोबार के आधार पर प्रतिशत की गणना की गई।	0.54%	लागू नहीं
बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेन-देन:		
(i) की गई वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण	बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। धन का उपयोग बैंकिंग के सामान्य प्रक्रिया से किया जाएगा।	
जहां कोई वित्तीय ऋणग्रस्तता, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम निवेश करने या देने के लिए लिया जाता है	बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। लेन देन 24वीं एजीएम की तिथि से अगले एजीएम की तिथि तक पंद्रह महीने से अधिक की अवधि के लिए किए जाने का प्रस्ताव है। कार्यकाल जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार होगा।	
ए. ऋणग्रस्तता की प्रकृति: बी. निधियों की लागत: सी. अवधि:		
(ii) अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची, चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षितय यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति सहित यथा लागू शर्तें।	लागू शर्तें, जिनमें वचनबद्धताएं, चाहे वे सुरक्षित/ असुरक्षित हो, सुरक्षा की प्रकृति आदि शामिल हैं, बैंक की नीति/ विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार तथा उधरकर्ताओं की सहमति के अनुसार होगी। बैंक के सामान्य कारोबार के दौरान एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आधार किए जाएंगे।  प्रतिभूतियों का मूल्य प्रचलित बाजार पद्धति के अनुसार उचित बाजार मूल्य पर होगा।  चुकोती अनुसूची उधारकर्ता के साथ सहमत शर्तों के अनुसार होगी।	

Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	upto 4000.00	upto 7100.00
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial	
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover, for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2025)	2.85%	5.05%
Percentage calculated on the basis of the subsidiary's annual turnover on a standalone basis for FY ended 31.03.2025	0.54%	NA
Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary:		
(i) Details of Financial Indebtedness incurred	The Bank will not incur any specific Financial indebtedness. The funds will be utilized from normal course of banking.	
Where any Financial indebtedness is incurred to make or give loans, inter-corporate deposits, advances investments a. nature of indebtedness: b. cost of funds: c. tenure:	The Bank will not incur any specific Financial indebtedness. The transactions are proposed to be undertaken from the date of 24th AGM till the date of next AGM for a period not exceeding fifteen months. The Tenure of the credit facilities will be as per the terms of sanction in accordance with Bank's Policy/ Regulatory Guidelines.	
(ii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security, and	The applicable terms including Covenants, whether secured/ unsecured, nature of security, etc., will be in accordance with the Bank's Policy/Regulatory Guidelines and as agreed to by the borrowers. The transactions, shall be undertaken on an arm's length basis in the normal course of business of the Bank.  The interest rates shall be based on prevailing market rate or linked to external benchmark.  Repayment Schedule shall be as per the terms agreed to with the borrowers.	



<p>(iii) जिस उद्देश्य के लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।</p>	<p>कंपनी जी-सेक बाजार के थोक खंड की पूर्ति कर रही है। इन लेन-देनों से संबंधित निधि संबंधी निहितार्थ होते हैं, जो कंपनी के परिचालन को प्रभावित करते हैं।</p> <p>इसके अलावा, आरबीआई द्वारा आरटीजीएस की शुरुआत के बाद से, अधिकांश कॉल मनी लेन-देन आरटीजीएस के माध्यम से किए जाते हैं। शुद्ध बिक्री और खरीद आय को भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) द्वारा दिन के अंत में ही उनके आरबीआई खाते में जमा किया जाता है, जिसके बाद पीएनबी को अंतरित करके भुगतान करने के लिए निधि का उपयोग करना संभव नहीं होता है। जबकि निधि का उपयोग दिन के समय किया जाता है, क्रेडिट देर शाम को आता है और कंपनी उसी दिन सीमा का भुगतान कर देती है। धनराशि प्राप्त होने में विलंब होने की स्थिति में, LOC की सुविधा का लाभ उठाया जाता है, लेकिन उसे उसी दिन नियमित कर दिया जाता है। धनराशि प्राप्त होने में विलंब होने की स्थिति में, अनुमोदित त्व पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है और ऋण सुविधाएं प्राप्त करते समय निर्दिष्ट किया जाता है।</p>	<p>कंपनी प्रत्यक्ष ऋण के माध्यम से आवास गतिविधियों के वित्तपोषण के साथ-साथ आवास सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को ऋण देने में लगी हुई है। कंपनी व्यक्तियों (निवासी एवं अनिवासी तथा कॉर्पोरेट निकायों को उनकी आवास आवश्यकताओं के लिए) को ऋण प्रदान करती है। पीएनबीएचएफएल मकानों के निर्माण, खरीद, मरम्मत और उन्नयन के लिए खुदरा आवास ऋण प्रदान करता है। पीएनबीएचएफएल संपत्ति के बदले ऋण (एलएपी), वाणिज्यिक संपत्ति के लिए ऋण और आवासीय भूखंडों की खरीद के लिए ऋण भी प्रदान करता है। थोक खंड में पीएनबीएचएफएल बिल्डरों और डेवलपर्स को निर्माण वित्त और कॉर्पोरेट को लीज रेंटल डिस्काउंटिंग (एलआरडी) और वाणिज्यिक अवधि ऋण प्रदान करता है। इस निधि का उपयोग दैनिक कार्यों तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, साथ ही इसका उपयोग वाणिज्यिक पत्रों के आधार पर बाजार से धन जुटाने और आगे उधार देने तथा/या ऋण सुविधाएं प्राप्त करते समय निर्दिष्ट डीपी के लिए भी किया जाता है।</p>	<p>(iii) The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.</p>	<p>The company is catering to the whole sale segment of the G-Secs market. These transactions have associated funds implications, which correspondingly affect the company's operations.</p> <p>Further, since inception of RTGS by RBI, most of call money transactions are routed through RTGS. Net sale and purchase proceeds are credited to their RBI A/c only at the end of the day by Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL), after which it is not possible to utilize the funds for making payments by transferring them to PNB. While funds are utilized during day time, the credit comes late in the evening and company square off the limit on same day. In the event of delay in receipt of funds, facility of LOC is availed but regularized within the same day. In the event of delay in receipt of funds, Penal interest over approved ROI is paid by the company and/or as specified at the time of availing the credit facilities.</p>	<p>The company is engaged in the finance of housing activities through direct lending as well as lending to institutions providing housing facilities. Company provides loans to individuals (resident as well as non-residents and to corporate bodies for their housing requirement). PNBHFL provides retail housing Loan for construction, purchase, repairs and up-gradation of houses. PNBHFL also provides loan against property (LAP), loan for commercial property and loan for purchase of residential plots. In the wholesale segment PNBHFL provide construction finance to builders &amp; developers and Lease Rental Discounting (LRD) and commercial term loan to corporate. The fund is utilised for day to day operations and meeting repayment obligations of interest and instalments to the banks and FIs and also for earmarking of DP for raising funds against Commercial Paper from the market and for onward lending and/or as specified at the time of availing the credit facilities.</p>
---	--	---	--	--	---

आरपीटी बैंक के हित में क्यों है, इसका औचित्य	ये लेन-देन बैंक के बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हैं और यह निर्धारित मानदंडों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार होगा इसलिए बैंक के हित में हैं।
मूल्यांकन या अन्य बाह्य पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं

एक ओर बैंक के बीच प्रस्तावित लेन-देन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त उल्लिखित संबंधित पार्टियों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक होने जा रहा है (अर्थात् सेबी सूचीकरण विनियमों के अंतर्गत 'सामग्री से संबंधित पार्टी लेनदेन' की सीमा से अधिक अर्थात् ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात् वार्षिक समेकित कुल आय) का 10%, जो भी कम हो) लेन-देन संबंधित पार्टियों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किया जाएगा।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त सामग्री संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी संस्तुति की है कि प्रस्तावित सामग्री से संबंधित पक्ष के लेनदेन को मद संख्या 4 में रखा गया है, शेयरधारकों के समक्ष उनकी स्वीकृति लेने के लिए वार्षिक आम बैठक में साधारण संकल्प के रूप में रखा जाए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष हेतु सूचना के मद संख्या 4 में सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

#### ■ मद संख्या 5:

श्री अशोक चंद्र को भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ.सं. 4/4(i)/2023-बीओआई दिनांक 16 जनवरी, 2025 के माध्यम से, भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए की गई है।

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना है।

अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री अशोक चंद्र की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति की जाती है।

Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank	The transactions are in furtherance of banking business of the Bank and are undertaken in accordance with laid down norms policies and procedures and therefore, in the interest of the Bank.
Valuation or other external party report	Not applicable

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is going to be more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 4, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party(ies) shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 4 of the Notice.

#### ■ Item No. 5:

Shri Ashok Chandra was appointed by the Government of India as the Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification no. eF.No. 4/4(i)/2023-BO.I dated 16<sup>th</sup> January, 2025 with effect from 16<sup>th</sup> January, 2025 for a period of three years with effect from the date of assumption of charge of the office, or until further orders, whichever is earlier.

In terms of the First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of directors has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri Ashok Chandra as Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank on the terms and conditions as determined by the Government of India.



### श्री अशोक चंद्र का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:

श्री अशोक चंद्र ने 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। बैंकिंग उद्योग में उनके पास 33 वर्षों से अधिक का व्यापक और विविध अनुभव है।

श्री चंद्र 21 नवंबर 2022 से 15 जनवरी 2025 तक केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक थे। कार्यपालक निदेशक के रूप में उन्होंने डिजिटल बैंकिंग और सूचना प्रौद्योगिकी, कार्यनीति और योजना, विपणन और जनसंपर्क, वित्तीय समावेशन, एमएसएमई, खुदरा आरित, कृषि और प्राथमिकता क्षेत्र, स्वर्ण ऋण, देयता प्रबंधन, सामान्य प्रशासन आदि सहित केनरा बैंक में विभिन्न वर्टिकल की देखरेख की है।

आप केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पीएसबी अलायंस लिमिटेड और केनरा वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक भी थे। वे मानव संसाधन के लिए आईबीए की स्थायी समिति के सदस्य हैं। इससे पहले, उन्होंने यूनिन बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। सीजीएम के रूप में वे बैंक के वसूली, विधि और दबावग्रस्त आरित प्रबंधन वर्टिकल के प्रभारी थे। बैंक की दबावग्रस्त आरित को काफी कम करने के लिए योजनाबद्ध उपाय लागू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे आईबीए द्वारा गठित 'दबावग्रस्त आरित पर स्थायी समिति' के सदस्य भी थे।

आपने यूनिन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड निदेशक और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) में निदेशक के रूप में भी कार्य किया। श्री चंद्र ने अपना बैंकिंग कैरियर 10 सितम्बर 1991 को एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक से शुरू किया था और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में शाखा प्रमुख के रूप में कार्य किया तथा देश भर में बैंक के अंचलक्षेत्रों के प्रमुख के रूप में अनेक उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया। उन्होंने दुबई, यूएई में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय का नेतृत्व करते हुए विदेशी परिचालन में भी कार्य किया। अपने करियर में, उन्होंने स्टार परफॉर्मर, बेस्ट ब्रांच अवार्ड, हेल्दी ब्रांच अवार्ड, लीडरशिप अवार्ड, चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड आदि जैसे सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त की हैं।

श्री चंद्र के पास अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री है और वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं। उन्हें 2019-2020 के दौरान बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा डिजाइन किए गए और आईआईएम बैंगलोर द्वारा संचालित नेतृत्व कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए चुना गया था।

**सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:**

- क. बैंक के कारोबार के संदर्भ में यथाआवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार, बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- ख. निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक-संबंध नहीं है
- ग. अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद: शून्य
- घ. श्री चंद्र पिछले तीन वर्षों में जिन सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक नहीं रहे हैं, उनके नाम: केनरा बैंक
- ङ. पंजाब नेशनल बैंक में शेयरधारिता: शून्य

### The brief profile of Shri Ashok Chandra is as under:

Shri Ashok Chandra, Managing Director & Chief Executive Officer of Punjab National Bank has a vast and varied experience in the Banking industry, spanning more than 33 years.

Shri Chandra was Executive Director of Canara Bank from 21<sup>st</sup> November 2022 to 15<sup>th</sup> January 2025. In his capacity as Executive Director in Canara Bank, he has overseen various Verticals including Digital Banking and Information Technology, Strategy and Planning, Marketing and Public Relations, Financial Inclusion, MSME, Retail Asset, Agriculture and Priority Sector, Gold Loan, Liability Management, General Administration etc.

He was also a Director on the Board of Canara HSBC Life Insurance Company Limited, PSB Alliance Ltd. and Canara Venture Capital Fund Ltd. He is a member of IBA standing committee for HR. Before this, he served as Chief General Manager in Union Bank of India. As CGM he was in-charge of Recovery, Legal and Stressed Asset Management Vertical of the Bank. He was instrumental in putting in place planned measures to drastically reduce the Stressed Assets of the Bank. He was also a member of "Standing Committee on Stressed Assets" formed by IBA.

He also served as Director on the Board of The Union Trustee Company Private Limited and as a Director in The National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL). Shri Chandra started his banking career with erstwhile Corporation Bank on 10<sup>th</sup> September, 1991 as a Probationary Officer and worked as Branch Head in various Geographies and handled multiple responsibilities as heading Zones / Regions of the Bank across the country. He also had a stint of Overseas Operations when he was heading the Representative Office of the Bank at Dubai, UAE. In his career, he has achieved laurels and accolades such as Star Performer, Best Branch Award, Healthy Branch Award, Leadership Award, Champion of champions Award etc.

Shri Chandra holds a Master's Degree in Economics and is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He was chosen to be a part of the leadership programme designed by the Banks Board Bureau and conducted by IIM Bangalore during 2019-2020.

**Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:**

- a. The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.
- b. There is no inter-se relationship between Directors
- c. Directorship in other listed entities: Nil
- d. Name of listed entities in which Shri Chandra has ceased to be director in the past three years: Canara Bank
- e. Shareholding in Punjab National Bank: Nil

श्री अशोक चन्द्र की नियुक्ति का पारिश्रमिक एवं अन्य नियम एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित हैं।

श्री अशोक चन्द्र के अतिरिक्त बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदारों को किसी भी तरह से संकल्प में रुचि या सरोकार नहीं रखते हैं।

बोर्ड ने संस्तुति की है कि उनके विस्तार के प्रस्ताव को शेयरधारकों के समक्ष एजीएम में साधारण संकल्प के रूप में उनकी स्वीकृति के लिए रखा जाए।

#### ■ मद संख्या 6:

श्री कल्याण कुमार को भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ. सं. 4/2/2021-बीओ.आई दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक या जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया था।

श्री कल्याण कुमार का कार्यकाल भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ सं. 4/2(iii)/2024-बीओ.। दिनांक 19 अगस्त, 2024 के माध्यम से, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में 20 अक्टूबर, 2024 (कार्यकाल पूरा होने की तिथि) से अगले दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया गया था।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ, विनियम, 2015 के विनियमन 17(1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति/विस्तार को बैंक के शेयरधारकों की अगली आम बैठक में अनुमोदित किया जाना है।

अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित समान नियमों और शर्तों पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री कल्याण कुमार की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृत की जाती है।

#### श्री कल्याण कुमार का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:

श्री कल्याण कुमार राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, पूसा से विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं और भारतीय बैंकर्स संस्थान (सीएआईआईबी) के प्रमाणित एसोसिएट सदस्य भी हैं और इनके पास भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) से व्यापार वित्त, एसएमई वित्त आईटी सुरक्षा और केवाईसी – एएमएल में विभिन्न प्रमाणपत्र हैं।

श्री कुमार वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक की दो सहायक कंपनियों अर्थात् पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड और पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड में अध्यक्ष हैं। वे मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एमडीआई) सोसाइटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नामित सदस्य हैं। श्री कुमार एससीबी नामित निदेशक के रूप में आईआईएफसीएल के बोर्ड में और अध्यक्ष के रूप में छप्पैब्ड के बोर्ड में भी हैं।

The remuneration and other terms and conditions of appointment of Sh. Ashok Chandra are guided by the extant guidelines issued by Government of India.

Except Shri Ashok Chandra, none of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board has recommended that the proposal for his appointment, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

#### ■ Item No. 6:

Shri Kalyan Kumar was appointed by the Government of India as the Executive Director of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification no. eF.No. 4/2/2021-BO.I dated 21<sup>st</sup> October, 2021 with effect from 21<sup>st</sup> October, 2021, for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

The term of Shri Kalyan Kumar was extended by the Government of India as the Executive Director of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification no. eF. no.4/2(iii)/2024-BO.I dated 19<sup>th</sup> August, 2024 for a period of two years beyond 20<sup>th</sup> October, 2024 (i.e. date of completion of his tenure) or until further orders, whichever is earlier.

In terms of the First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment/ extension of Directors has to be approved at the next general meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the extension of Shri Kalyan Kumar as Executive Director of the Bank on the terms and conditions as determined by the Government of India.

#### The brief profile of Shri Kalyan Kumar is as under:

Shri Kalyan Kumar, a Post Graduate in science from Rajendra Prasad Agriculture University, Pusa, is also a Certified Associate Member of Indian Institute of Bankers (CAIIB) and holds various certifications in Trade Finance, SME Finance, IT Security and KYC-AML from Indian Institute of Banking and Finance (IIBF).

Shri Kumar is presently the Chairman on the Board of two of the subsidiaries of Punjab National Bank i.e. PNB Gilts Ltd. and PNB Cards & Services Ltd. He is the nominee member on the Board of Governors of Management Development Institute (MDI) Society. Shri Kumar is also on the Board of IIFCL as SCB nominee Director and on the Board of NIBSCOM as Chairman.



श्री कुमार ने शीर्ष लीडरशिप विकास के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो प्रशिक्षण कार्यक्रम और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से एगॉन जेंडर द्वारा संचालित निदेशक विकास कार्यक्रम में भी सहभागिता की है।

पंजाब नेशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री कल्याण कुमार के कार्य ग्रहण करने के बाद से, वे कई डोमेन में उत्तरदायित्वों सहित प्रमुख कारोबार, सहयोग तथा नियंत्रण कार्यों में लाभ वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे वर्तमान में कॉर्पोरेट क्रेडिट, एमएसएमई और मिड कॉर्पोरेट, रिटेल, कृषि, वित्तीय समावेशन, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, ट्रेजरी और वित्त एवं लेखा के पोर्टफोलियो में मुख्य भूमिका निभा कर रहे हैं।

डिजिटल परिवर्तन, रणनीतिक प्रबंधन, आर्थिक सलाह, डेटा एनालिटिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता के माध्यम से समग्र व्यवसाय विकास के लिए बैंक के विजन और रणनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने एचआर परिवर्तन, 'पीएनबी उड़ान' का भी निर्देशन किया, जो प्रत्येक कर्मचारी से भूमिकाओं और अपेक्षाओं की स्पष्टता प्रदान करता है, जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित और मापने योग्य केआरए शामिल हैं। बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग, सक्रिय क्रेडिट मॉनिटरिंग, एसेट क्वालिटी और वसूली में सुधार, परिचालन और केवाईसी और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के कार्यकाल के दौरान उनकी देखरेख ने समग्र रूप से बैंक के EASE प्रदर्शन को और बेहतर बनाया।

**सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:**

- बैंक के कारोबार के संदर्भ में यथाआवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार, बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक-संबंध नहीं है
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद: पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
- सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनमें श्री कल्याण कुमार पिछले तीन वर्षों में निदेशक नहीं हैं: शून्य
- पंजाब नेशनल बैंक में शेयरधारिता: शून्य

श्री कल्याण कुमार की नियुक्ति का पारिश्रमिक और अन्य नियम एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित हैं।

श्री कल्याण कुमार को छोड़कर, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदारों को किसी भी तरह से संकल्प में रुचि या सरोकार नहीं रखते हैं।

बोर्ड ने संस्तुति की है कि उनके विस्तार के प्रस्ताव को शेयरधारकों के समक्ष एजीएम में साधारण संकल्प के रूप में उनकी स्वीकृति के लिए रखा जाए।

#### ■ मद संख्या 7 :

श्री डी. सुरेन्द्रन को भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ईएफ.सं. 4/5(ii)/2023-बीओ। दिनांक 24 मार्च, 2025 के माध्यम से,

Shri Kumar has undergone the Banks Board Bureau Training Program for Top Leadership Development and also Director Development Programme conducted by Egon Zehnder in collaboration with Harvard University.

Since the joining of Shri Kalyan Kumar as the Executive Director in Punjab National Bank, he is playing a pivotal role in Profit delivery across key business, support and control functions with responsibilities across multiple domains. He is presently leading the portfolio of Corporate Credit, MSME & Mid Corporate, Retail, Agriculture, Financial inclusion, International Banking, Treasury and Finance & Accounts.

He was instrumental in Bank's vision and strategy for overall business growth through Digital Transformation, Strategic Management, Economic Advisory, Data Analytics and Information Technology Excellence. He also directed the HR Transformation, 'PNB Udaan', which provides clarity of roles & expectations from each employee with well-defined and measurable KRAs. His oversight during the tenure in Business Process Re-engineering, proactive Credit Monitoring, improving Asset Quality and Recovery, Operations & KYC and enhancing Customer Experience further improved the EASE performance of the Bank as a whole.

**Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:**

- The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.
- There is no inter-se relationship between Directors
- Directorship in other listed entities: PNB Gilts Ltd.
- Names of listed entity in which Shri Kalyan Kumar has ceased to be Director in the past three years: Nil
- Shareholding in Punjab National Bank: Nil

The remuneration and other terms and conditions of extension of Sh. Kalyan Kumar are guided by the extant guidelines issued by Government of India.

Except Shri Kalyan Kumar, none of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board has recommended that the proposal for his extension, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM, for seeking their approval.

#### ■ Item No. 7:

Shri D Surendran was appointed by the Government of India as the Executive Director of the Bank under Section 9(3)(a) of the

भारत सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अंतर्गत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात् दिनांक 24.03.2025 से उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तिथि अर्थात् दिनांक 31.05.2027 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक नियुक्त किया गया है।

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाना है।

अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री डी. सुरेन्द्रन की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृत की जाती है।

#### श्री डी. सुरेन्द्रन का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:

श्री डी. सुरेन्द्रन अन्नामलाई विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातकोत्तर हैं और भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलुरु में बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम भी किया है।

उन्होंने वर्ष 1990 में केनरा बैंक में कृषि विस्तार अधिकारी (AEO) के रूप में अपना करियर शुरू किया और पिछले 34 वर्षों से कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली और आंध्र प्रदेश राज्यों में विभिन्न पदों पर बैंक की सेवा की है। उन्होंने अति वृहद शाखाओं और असाधारण रूप से वृहद शाखाओं का नेतृत्व किया है। उन्होंने कर्नाटक ग्रामीण बैंक में महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है और केनरा बैंक मंडल कार्यालय, मदुरै का नेतृत्व किया है। आपने केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में, मानव संसाधन विंग का नेतृत्व किया।

आपके अनुभव में शाखा बैंकिंग, प्राथमिकता ऋण, एमएसएमई, खुदरा ऋण, वसूली और मानव संसाधन शामिल हैं। एचआर विंग के प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, प्रोजेक्ट आरोहण-एचआर परिवर्तन शुरू किया गया था। उन्हें केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में भी नामित किया गया था।

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

- ए. बैंक के कारोबार के संदर्भ में यथाआवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार, बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- बी. निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक-संबंध नहीं है
- सी. अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद: शून्य
- डी. श्री डी. सुरेन्द्रन जिनमें पिछले तीन वर्षों में निदेशक रहे सूचीबद्ध इकाई के नाम: शून्य
- ई. पंजाब नेशनल बैंक में शेयरधारिता: शून्य

Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification no. eF.No.4/5(ii)/2023-BO.I dated 24<sup>th</sup> March, 2025 with effect from the date of assumption of charge i.e. 24.03.2025 till the date of his attaining the age of superannuation i.e. 31.05.2027, or until further orders, whichever is earlier.

In terms of the First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Directors has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri D Surendran as Executive Director of the Bank on the terms and conditions as determined by the Government of India.

#### The brief profile of Shri D Surendran is as under:

Shri D. Surendran is a Post Graduate in Agriculture from Annamalai University and also a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers. He has also undergone Leadership Development Programme for Senior Executives by Banks Board Bureau at Indian Institute of Management, Bengaluru.

He started his career in Canara Bank as an Agriculture Extension Officer (AEO) in the year 1990 and has served the Bank for last 34 years in various capacities in the States of Karnataka, Tamil Nadu, West Bengal, New Delhi and Andhra Pradesh. He has headed Very Large Branches and Exceptionally Large Branches. He has worked as General Manager in Karnataka Gramin Bank and has headed Canara Bank Circle Office, Madurai. As Chief General Manager, he headed the Human Resources Wing at Head Office of Canara Bank.

His experience includes Branch Banking, Priority Credit, MSME, Retail Credit, Recovery and Human Resources. During his tenure as Head of HR Wing, Project Aarohan-HR Transformation was rolled out. He was also nominated on the Board of Canara HSBC Life Insurance Company Ltd.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- a. The skills/expertise/capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.
- b. There is no inter-se relationship between Directors
- c. Directorship in other listed entities: Nil
- d. Names of listed entity in which Shri D Surendran has ceased to be Director in the past three years: Nil
- e. Shareholding in Punjab National Bank: Nil



श्री डी. सुरेन्द्रन की नियुक्ति का पारिश्रमिक और अन्य नियम व शर्तें भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित हैं।

श्री डी. सुरेन्द्रन के अतिरिक्त, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदारों को किसी भी तरह से संकल्प में रुचि या सरोकार नहीं रखते हैं।

बोर्ड ने संस्तुति की है कि उनके विस्तार के प्रस्ताव को शेयरधारकों के समक्ष एजीएम में साधारण संकल्प के रूप में उनकी स्वीकृति के लिए रखा जाए।

#### ■ मद संख्या 8 :

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के 24ए विनियम के अनुसार, बैंक एक सूचीबद्ध इकाई होने के नाते, सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित करने और सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करने के लिए एक सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त करने के लिए बाध्य है, जो बैंक की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। इसके अलावा, बैंक की सचिवीय लेखा परीक्षा नीति के अनुसार, सचिवीय लेखा परीक्षक को वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट भी जारी करने की आवश्यकता होती है, जिसे स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सेबी ने 31 दिसंबर, 2024 के परिपत्र के साथ पठित अपनी अधिसूचना 12 दिसंबर 2024 के माध्यम से सेबी (एलओडीआर) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 द्वारा सेबी (एलओडीआर) विनियमों में कुछ प्रमुख संशोधनों को अधिसूचित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सूचीबद्ध इकाई के सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति धुनर्नियुक्ति या जारी रखने के लिए पात्रता मानदंड, अर्हता, अयोग्यता आदि के संबंध में है। सेबी ने यह भी निर्धारित किया है कि सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति पांच साल की अवधि के लिए होगी और वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल द्वारा शेयरधारकों को इसकी संस्तुति की जाएगी।

बोर्ड ने संस्तुति की है कि को वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को नियुक्त करने का प्रस्ताव शेयरधारकों के समक्ष उनके अनुमोदन प्राप्त करने के लिए साधारण संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

निदेशक मंडल के आदेश से  
कृते पंजाब नेशनल बैंक

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 04.06.2025

(बिक्रमजीत शोम)  
कंपनी सचिव

अनुलग्नक

लाभांश के स्रोत पर कर कटौती के निर्देश

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अनुसार, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित, 1 अप्रैल, 2020 के बाद बैंक द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा। इसलिए बैंक को शेयरधारकों को उक्त लाभांश का भुगतान करते समय अधिनियम की धारा 194 या अधिनियम की धारा 195 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर

The remuneration and other terms and conditions of appointment of Sh. D Surendran are guided by the extant guidelines issued by Government of India.

Except Shri D Surendran, none of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board has recommended that the proposal for his appointment, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

#### ■ Item No. 8:

Pursuant to Regulation 24A of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Bank, being a listed entity is required to appoint a Secretarial Auditor for conducting the Secretarial Audit and issuing the Secretarial Audit Report which forms part of the Annual Report of the Bank. Further, as per the Bank's Secretarial Audit Policy, the Secretarial Auditor is also required to issue the Annual Secretarial Compliance Report which is required to be submitted to the Stock Exchanges.

SEBI vide its Notification dated 12<sup>th</sup> December, 2024 read with Circular dated 31<sup>st</sup> December, 2024, notified certain key amendments in the SEBI (LODR) Regulations vide SEBI (LODR) (Third Amendment) Regulations, 2024, inter alia in respect of eligibility criteria, qualifications, disqualifications, etc., for appointment/re-appointment or continuation of a Secretarial Auditor of the listed entity. SEBI has also prescribed that the appointment of Secretarial Auditor shall be for a term of five years and shall be recommended by the Board of Directors to the shareholders for approval in the Annual General Meeting.

The Board has recommended that the proposal for appointment M/s Agarwal S. & Associates, Company Secretaries as the Secretarial Auditor of the Bank for a term of 5 (five) years from FY 2025-26 to FY 2029-30, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution for seeking their approval.

By order of the Board of Directors  
For Punjab National Bank

Place: New Delhi  
Date: 04.06.2025

(Bikramjit Shom)  
Company Secretary

#### Annexure

#### Instructions on Deduction of Tax at Source on Dividend

As per the Income-tax Act, 1961 (the Act), as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by Bank after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the shareholders. The Bank shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) under section 194 of the Act or section 195 of the Act at the prescribed rates at the time of making the payment of the said dividend to shareholders.

स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करनी होगी। टीडीएस की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति और उनके द्वारा जमा किए गए और बैंक द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर भिन्न होगी। इसके अतिरिक्त, टीडीएस की उच्च दर लागू होगी यदि अधिनियम की धारा 206AA के अनुसार, वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) शेयरधारक द्वारा प्रदान नहीं किया गया।

तदनुसार, बैंक द्वारा अंतिम लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर की कटौती के बाद किया जाएगा, जैसा कि यहां स्पष्ट किया गया है।

## ए. निवासी शेयरधारक

1. निवासी शेयरधारकों के लिए लाभांश की राशि पर 10% टीडीएस लागू होगा। यदि वैध पैन प्रदान नहीं किया गया है, तो टीडीएस लाभांश की राशि पर 20% की दर से लागू होगा। तदनुसार, जिन शेयरधारकों ने अपना पैन प्रदान नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे बैंक या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (एसटीए) अर्थात् बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड (भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में) या डिपॉजिटरी भागीदार (इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में) को तत्काल प्रदान करें।

शेयरधारकों को रिकॉर्ड तिथि से पूर्व नियम 114 एएए के साथ पठित धारा 139 ए (2) के अंतर्गत अपने आधार नंबर को पैन से लिंक करना आवश्यक है। यदि कोई पैन निर्धारित समयसीमा के भीतर आधार से लिंक नहीं पाया जाता है, तो ऐसे पैन को निष्क्रिय माना जाएगा और अधिनियम की धारा 206ए के अंतर्गत उच्च दर पर टीडीएस काटा जाएगा। धारा 206ए की प्रयोज्यता के बारे में सूचित न करने या गलत जानकारी प्रदान करने के लिए बाद में बैंक से की गई किसी भी मांग को वसूलने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।

देय लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा यदि नीचे दी गई दो शर्तों में से कोई एक भी पूरी होती है:

- एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक को देय कुल लाभांश प्रति वर्ष ₹10,000 से अधिक नहीं है अथवा
  - शेयरधारक ने वैध पैन के साथ विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित फॉर्म 15जी (कंपनी या फर्म के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के लिए लागू)/फॉर्म 15एच (60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए लागू) प्रदान किया है और बशर्ते कि सभी आवश्यक पात्रता शर्तें पूर्ण करता हो।
2. निम्नलिखित कर निवासी शेयरधारक बैंक की संतुष्टि के अधीन नीचे उल्लिखित दस्तावेज बैंक को उपलब्ध कराने पर टीडीएस की शून्य/निम्न दर के लिए पात्र होंगे:

The TDS rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted by them and accepted by the Bank. Further, higher rate of TDS would be applicable if pursuant to section 206AA of the Act, valid permanent account number (PAN) has not been provided by shareholder.

Accordingly, the final dividend will be paid by the Bank after deducting tax at source, as applicable, as explained herein.

## A. Resident Shareholders

1. For Resident Shareholders, TDS will be applicable at 10% on the amount of dividend. In case, valid PAN is not provided, then the TDS will be applicable at 20% of the amount of dividend. Accordingly, shareholders who have not provided their PAN are requested to provide the same to the Bank or its Registrar and Share Transfer Agent (STA) viz. Beetal Financial & Computer Services (Pvt.) Ltd., (in respect of shares held in physical form) or to the Depository Participant (in respect of shares held in electronic form), immediately.

Shareholders are required to link their Aadhaar number with PAN as required under Section 139AA(2) read with rule 114AAA, before the Record Date. If any PAN is found to have not been linked with Aadhaar within the stipulated timelines, then such PAN shall be deemed inoperative and TDS will be deducted at higher rate under section 206AA of the Act. The Bank reserves its right to recover any demand raised subsequently on the Bank for not informing or providing wrong information about applicability of Section 206AA.

No tax shall be deducted on the dividend payable if either of the below two conditions are fulfilled:

- Total dividend payable to a resident individual shareholder does not exceed ₹10,000 per year OR
- The shareholder has provided duly filled and signed Form 15G (applicable to any Person other than a company or a Firm)/ Form 15H (applicable to an Individual above the age of 60 years) with valid PAN and provided that all the required eligibility conditions are met.

2. The following Tax Resident Shareholders should be eligible for Nil/Lower Rate of TDS upon providing the documents to the Bank mentioned hereunder to the satisfaction of the Bank:



क्र. सं.	विवरण	टीडीएस की लागू दर	आवश्यक दस्तावेज
ए.	बीमा कंपनियां	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>घोषणापत्र कि यह अधिनियम की धारा 194 के प्रावधान के अंतर्गत निर्दिष्ट एक बीमा कंपनी है</li> <li>आईआरडीएआई के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रति</li> <li>पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति</li> </ul>
बी.	सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित विशिष्ट निगम जिनकी आय कर से मुक्त है, और अधिनियम की धारा 10(23डी) के अंतर्गत निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>घोषणापत्र कि यह जारी परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 196(iii) के अंतर्गत आता है।</li> <li>प्रासंगिक पंजीकरण दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि।</li> <li>पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति।</li> </ul>
सी.	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत श्रेणी - I और II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>घोषणापत्र कि इसकी आय अधिनियम की धारा 10(23FBA) के अंतर्गत छूट प्राप्त है तथा वे श्रेणी I या श्रेणी II एआईएफ के रूप में सेबी के नियमों द्वारा शासित हैं।</li> <li>सेबी एआईएफ पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति।</li> <li>पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति।</li> </ul>
डी.	एनपीएस ट्रस्ट	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>घोषणापत्र कि ट्रस्ट पंजीकरण दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति सहित अधिनियम की धारा 10(44) [उप-धारा 1ई से धारा 197ए] के प्रावधानों द्वारा शासित है।</li> </ul>
ई.	शेयरधारकों को अधिनियम या सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के किसी भी प्रावधान के संदर्भ में टीडीएस प्रावधानों से छूट दी गई है	शून्य	<ul style="list-style-type: none"> <li>घोषणापत्र कि सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के अंतर्गत कवर हो।</li> <li>अधिनियम या सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के किसी प्रावधान के संदर्भ में छूट की स्थिति का समर्थन करने वाला दस्तावेजी साक्ष्य।</li> <li>पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति।</li> </ul>
एफ.	सभी निवासी शेयरधारक	आयकर विभाग द्वारा जारी न्यून कटौती प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दर	<ul style="list-style-type: none"> <li>अधिनियम की धारा 197 के अंतर्गत प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति [बैंक के TAN DELP3704D में जारी]</li> </ul>

Sr. No.	Particulars	Applicable Rate of TDS	Documents Required
a)	Insurance Companies	Nil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Declaration that it is an Insurance Company as specified under Proviso to section 194 of the Act</li> <li>Self-attested copy of certificate of registration with IRDAI</li> <li>Self-attested copy of PAN card</li> </ul>
b)	Government, Reserve Bank of India (RBI), Specified Corporations established by or under Central Act whose income is exempt from tax, and Mutual Funds specified under section 10(23D) of the Act	Nil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Declaration that it is covered by section 196(iii) of the Act read with the Circulars issued thereunder.</li> <li>Self-attested copy of relevant registration documents.</li> <li>Self-attested copy of PAN card.</li> </ul>
c)	Category - I & II Alternative Investment Funds (AIF) registered with the Securities and Exchange Board of India (SEBI)	Nil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Declaration that their income is exempt under section 10(23FBA) of the Act and they are governed by SEBI regulations as Category I or Category II AIF.</li> <li>Self-attested copy of SEBI AIF registration certificate.</li> <li>Self-attested copy of the PAN card.</li> </ul>
d)	NPS Trust	Nil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Declaration that the trust is governed by the provisions of Section 10(44) [sub-section 1E to section 197A] of the Act along with Self-attested copy of registration documents.</li> </ul>
e)	Shareholders exempted from TDS provisions in terms of any provisions of the Act or CBDT Circular or notification	Nil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Declaration that it is covered by CBDT circular or Notification.</li> <li>Documentary evidence supporting the exemption status in terms of any provisions of the Act or CBDT Circular or notification.</li> <li>Self-attested copy of PAN card.</li> </ul>
f)	All resident shareholders	Rate specified in the low deduction certificate issued by the income tax department	<ul style="list-style-type: none"> <li>Self-attested copy of certificate under section 197 of the Act [issued in Bank's TAN DELP3704D]</li> </ul>

## बी. अनिवासी शेयरधारक

1. अनिवासी संस्थागत शेयरधारकों, के लिए विदेशी संस्थागत निवेशक / विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफआईआई / एफपीआई) होने के नाते, टीडीएस अधिनियम की धारा 196डी के अंतर्गत 20% पर या किसी भी लागू दोहरा कर बचाव समझौते (कर संधि) में दिए गए दर के अनुसार, नीचे उल्लिखित दस्तावेजों को जमा करने पर, जो भी कम हो, देय लाभांश की राशि पर लागू होगा।
2. अन्य अनिवासी शेयरधारकों के लिए, टीडीएस अधिनियम की धारा 195 के प्रावधानों के अनुसार, लागू दरों पर जो वर्तमान में 20% या नीचे उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर किसी भी लागू कर संधि में दर के अनुसार, जो भी कम हो, देय लाभांश की राशि पर लागू होगा।
3. यदि अधिनियम की धारा 197 / 195 के अंतर्गत अनिवासी शेयरधारकों द्वारा कर्षों की कम / शून्य रोक के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है, तो उक्त प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दर पर उसी की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने के आधार पर विचार किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 90(2) के अनुसार, अनिवासी शेयरधारकों (एडीआर के लिए डिपॉजिटरी के अतिरिक्त) के पास भारत और उनके कर निवास वाले देशों के बीच कर संधि का लाभ उठाने का विकल्प है, जिसके लिए ऐसे अनिवासी शेयरधारकों को बैंक की संतुष्टि के लिए निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे :

1. भारतीय आयकर प्राधिकरण द्वारा आवंटित पैन की स्व-सत्यापित प्रतिय यदि पैन आवंटित नहीं किया गया है, तो कृपया स्व-घोषणा प्रस्तुत करें।
2. जिस देश का शेयरधारक निवासी है, उसके कर प्राधिकरण से प्राप्त टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट (TRC) (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए) की स्व-सत्यापित प्रति। यदि टीआरसी अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, तो उक्त टीआरसी को ऐसी अन्य भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवादित करना होगा और उसके बाद टीआरसी की विधिवत नोटरीकृत और प्रमाणित (एपोस्टिल) की प्रति प्रदान करनी होगी।
3. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फॉर्म 10एफ में स्व-घोषणा यदि इस फॉर्म में आवश्यक सभी विवरण टीआरसी में उल्लिखित नहीं हैं।
4. अनिवासी शेयरधारक द्वारा स्व-घोषणा;
  - शेयरधारक की कर आवासीय स्थिति के आधार पर कर संधि लाभों का दावा करने की पात्रता;
  - प्रासंगिक वर्ष के दौरान किसी भी समय शेयरधारक के पास लागू कर संधि के अनुसार भारत में स्थायी स्थापनाधनिश्चित आधार नहीं था;
  - शेयरधारक इक्विटी शेयरों पर प्राप्त होने वाली लाभांश आय का लाभकारी स्वामी होता है।

## B. Non-Resident Shareholders

1. For Non-resident institutional shareholders being Foreign Institutional Investors/Foreign Portfolio Investor (FIIs/FPIs), TDS will be applicable under section 196D of the Act, at 20% or as per the rate in any applicable Double Tax Avoidance Agreement (tax treaty) on submission of documents mentioned below, whichever is lower, on the amount of dividend payable.
2. For other Non-resident shareholders, TDS will be applicable in accordance with the provisions of section 195 of the Act, at the rates in force which is currently 20% or as per the rate in any applicable tax treaty on submission of documents mentioned below, whichever is lower, on the amount of dividend payable.
3. If certificate under section 197/195 of the Act is obtained by non-resident shareholders for lower/Nil withholding of taxes, rate specified in the said certificate shall be considered based on submission of self-attested copy of the same.

Pursuant to section 90(2) of the Act, non-resident shareholders (other than Depository for ADRs) have the option to avail the benefit of tax treaty between India and the countries of their tax residence for which such non-resident shareholders will have to provide the following documents, to the satisfaction of the Bank:

1. Self-attested copy of the PAN allotted by the Indian Income Tax Authorities; If the PAN is not allotted, please submit self-declaration.
2. Self-attested copy of Tax Residency Certificate (TRC) (for FY 2024-25) obtained from the tax authorities of the country of which the shareholder is resident. In case, the TRC is furnished in a language other than English, the said TRC would have to be translated from such other language to English language and thereafter duly notarized and apostilled copy of the TRC would have to be provided.
3. Self-declaration in Form 10F for FY 2024-25 if all the details required in this Form are not mentioned in the TRC.
4. Self-declaration by the non-resident shareholder as to:
  - Eligibility to claim tax treaty benefits based on the tax residential status of the shareholder;
  - The shareholder did not at any time during the relevant year have permanent establishment/fixed base in India in accordance with the applicable tax treaty;
  - The shareholder being the beneficial owner of the dividend income to be received on the equity shares.



कृपया ध्यान दें कि बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार में किसी भी अधिक जानकारी के लिए कॉल करने और/या टीडीएस के लिए डोमेस्टिक कानून/कर संधि लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

#### सामान्य निर्देश

1. उपरोक्त सभी संदर्भित टीडीएस दरों में, जहाँ भी लागू हो, लागू अधिभार और उपकर द्वारा विधिवत वृद्धि की जाएगी। हालाँकि, यदि टीडीएस दरें डीटीए अनुसार लागू होती हैं, तो कोई अधिभार या उपकर नहीं लगाया जाता है।
2. डीमैटरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने रिकॉर्ड जैसे कर आवासीय स्थिति, पैन, पता, बैंक खाता विवरण, ई-मेल पते और मोबाइल नंबर अपडेट करें। भौतिक रूप में शेयर धारित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने विवरण बैंक या बैंक के एसटीए को प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान दें कि लागू टीडीएस प्रावधानों का अनुपालन करने के उद्देश्य से, बैंक डिपॉजिटरीज/बैंक के एसटीए के पास उपलब्ध विवरण के अनुसार रिकार्ड तिथि अर्थात् जून, 2025 को उपर्युक्त जानकारी पर निर्भर करेगा।

3. वेबसाइट: [www.pnbindia.co.in](http://www.pnbindia.co.in) से फॉर्म/घोषणाएं डाउनलोड की जा सकती हैं। बैंक को उचित कर दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, जिस पर अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती की जानी है, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे दिनांक **20 जून, 2025 को या उससे पहले** उन पर लागू दस्तावेज [beetalrta@gmail.com](mailto:beetalrta@gmail.com) / [hosd@pnb.co.in](mailto:hosd@pnb.co.in) पर प्रदान/प्रस्तुत करें।
4. लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर की कटौती के बाद किया जाएगा जैसा कि संबंधित शेयरधारकों द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और अधिनियम के अनुसार पूर्ण और संतोषजनक पाया जाएगा। बैंक शेयरधारक को टीडीएस प्रमाणपत्र भेजने की व्यवस्था करेगा।
5. उक्त लाभांश के संबंध में कर निर्धारण/कटौती पर कोई भी संचार उपर्युक्त तिथि और समय के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यदि उपरोक्त विवरण/दस्तावेजों की प्राप्ति के अभाव में उच्च दर से कर कटौती की जाती है, तब भी शेयरधारक के पास आय की विवरणी दाखिल करने और उचित धन वापसी दावा करने का विकल्प, यदि पात्र हो, तो उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें कि ऐसे कर की कटौती के लिए बैंक पर कोई दावा नहीं किया जाएगा।
6. इस संबंध में सभी संचार/प्रश्न बैंक/बैंक के एसटीए को [beetalrta@gmail.com](mailto:beetalrta@gmail.com) / [hosd@pnb.co.in](mailto:hosd@pnb.co.in) पर प्रेषित किए जाने चाहिए।
7. शेयरधारक(ओं) द्वारा प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली जानकारी को किसी भी गलत अर्थात् त्रुटि या चूक से उत्पन्न किसी भी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) की स्थिति में, ऐसे शेयरधारक बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होंगे और साथ ही सभी जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराने और किसी भी कार्यवाही में बैंक को सहयोग प्रदान करेंगे।

Please note that the Bank in its sole and absolute discretion reserves the right to call for any further information and/or to apply domestic law/tax treaty for TDS.

#### General Instructions:

1. All the above referred TDS rates shall be duly enhanced by applicable surcharge and cess, wherever applicable. However, if the TDS rate as per DTAA is applied, no surcharge or cess is leviable.
2. Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to update their records such as tax residential status, PAN, address, bank account details, email addresses and mobile numbers with their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their details to the Bank or Bank's STA.

Please note that for the purpose of complying with the applicable TDS provisions, the Bank will rely on the above-mentioned information as on record date i.e. 20<sup>th</sup> June, 2025 as per the details available with the Depositories/Bank's STA.

3. The Forms/Declarations can be downloaded from the website: [www.pnbindia.co.in](http://www.pnbindia.co.in). In order to enable the Bank to determine the appropriate tax rate at which tax has to be deducted at source under the respective provisions of the Act, Shareholders are requested to provide/submit the documents as applicable to them **on or before 20.06.2025** at [beetalrta@gmail.com](mailto:beetalrta@gmail.com) / [hosd@pnb.co.in](mailto:hosd@pnb.co.in)
4. The dividend will be paid after deduction of tax at source as determined on the basis of the documents provided by the respective shareholders as applicable to them and being found to be complete and satisfactory in accordance with the Act. The Bank shall arrange to dispatch the TDS certificate to the shareholder.
5. No communication on the tax determination/deduction in respect of the said dividend shall be entertained post the above mentioned date and time. It may be further noted that in case the tax on said dividend is deducted at a higher rate in absence of receipt of the aforementioned details/documents, there would still be an option available with the Shareholder to file the return of income and claim an appropriate refund, if eligible. Further, it may kindly be noted that no claim shall lie against the Bank for such taxes deducted.
6. All communications/queries in this respect should be sent to the Bank/Bank's STA at [beetalrta@gmail.com](mailto:beetalrta@gmail.com) / [hosd@pnb.co.in](mailto:hosd@pnb.co.in)
7. In the event of any income tax demand (including interest, penalty, etc.) arising from any misrepresentation, inaccuracy or omission of information provided/to be provided by the Shareholder(s), such Shareholder(s) will be responsible to indemnify the Bank and also, provide the Bank with all information/documents and co-operation in any proceedings.

8. इस पत्राचार को बैंक की ओर से सलाह के रूप में नहीं माना जाएगा। शेयरधारकों को अपने कर मामलों से संबंधित कर सलाह किसी कर पेशेवर से लेनी चाहिए।
  9. बैंक आयकर अनुपालन का पता लगाने के लिए आयकर वेबसाइट पर उपलब्ध कार्यक्षमता या सुविधा से सत्यापित जानकारी पर निर्भर करेगा, जिसके लिए अधिनियम की धारा 206AA के तहत टीडीएस की उच्च दर लागू होगी।
  10. ऐसे मामले में जहां शेयर क्लियरिंग सदस्य/मध्यस्थों/स्टॉक ब्रोकरों के पास हैं और बैंक द्वारा लाभकारी शेयरधारकों के पैन् में टीडीएस लगाया जाना है, तो मध्यस्थों/स्टॉक ब्रोकरों और लाभकारी शेयरधारकों को नियम 37BA के अनुसार एक घोषणा प्रदान करनी होगी और इसे 20.06.2025 तक आरटीए को सूचित किया जाना चाहिए।
8. This communication shall not be treated as an advice from the Bank. Shareholders should obtain tax advice related to their tax matters from a tax professional.
  9. The Bank will be relying on the information verified from the functionality or facility available on the Income Tax website for ascertaining the income tax compliance for whom higher rate of TDS shall be applicable under section 206AA of the Act.
  10. In case where shares are held by Clearing Member/ intermediaries/ stock brokers and TDS is to be applied by the Bank in the PAN of the beneficial shareholders, then intermediaries/ stock brokers and beneficial shareholders will have to provide a declaration as per rule 37BA and should be communicated to the RTA by 20.06.2025.



BLANK PAGE